128

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 18 दिसम्बर, 2006

में विचारणीय विषयों की

कार्यसूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 में विचारणीय विषयों की कार्यसूची

प्रस्ताव	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	07
3.	नजूल भूमि संख्याः 8डी,क्षेत्रफल 23876.325 वर्गफिट मोहल्ला रमना, दिलकुशा (विक्रमादिय मार्ग) लखनऊ का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि ।	15
4.	उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग के असुरक्षित घोषित जीर्ण-शीर्ण भवन संख्याः 8-तिलक मार्ग, लखनऊ का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।	16
5.	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु भू-उपयोग हरित से संस्थागत में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	17
6.	लखनऊ महायोजना 2021 की जोन-3 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।	27
7.	कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जी में आशियाना पावर हाऊस चौराहे के पास रिक्त पड़ी भूमि पर निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि का भू-उपयोग आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र तथा शेष आधे भाग पर कन्वीनियन्ट शाप बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	28

8.	एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।	31
9.	ट्रांस गोमती क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल परिवर्तन से योजना की लागत में हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा सहभागिता धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	34
10.	सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड को मिलाने वाली 150 मी0 चौड़ी आउटर रिंग रोड का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण व रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण ।	45
11.	गोमती विस्तार योजना के सेक्टर–4 से सेक्टर–7 को जोड़ने हेतु गोमती नदी पर पुल का निर्माण ।	46
12.	गाँधी सेतु सेतु गोमती बन्धा मार्ग पर गोमती नगर विस्तार योजना के लिए चारबाग–मल्हौर रेलवे लाइन पर रेल–उपरिगामी सेतु का निर्माण।	47
13.	गोमती विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन गोमती नदी सुरक्षा तटबन्ध के सम्बन्ध में ।	48
14.	विकास प्राधिकरण की बसन्त कुन्ज योजना (हरदाई रोड) के बाढ़ सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले गोमती तटबन्ध की परियोजना का अनुमोदन ।	49
15.	अल्माइटी मॉटेसरी स्कूल के विरुद्ध लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने विषयक।	50
16.	श्री कमलेश पन्त वर्कचार्ज लिपिक की पत्नी के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण हेतु चिकिसा अग्रिम रु0 50,000/– एवं दै0वे0भो0/वर्कचार्ज कर्मचारियों को अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मे ।	58
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।	

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 04 सितम्बर, 2006
में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री राकेश कुमार मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री बी0बी0सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3.	श्री रमेन्द्र त्रिपाठी	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री राम बोध मौर्या	नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार।
6.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
7.	श्री पी.के.जैन	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम,
8.	श्री ए.के.भटनागर	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि।
09.	श्री सिजृन हटडे	मुख्य वास्तुविद,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
10.	श्री तुलसीराम चौरसिया	सदस्य, ल.वि.प्रा.
11.	डा. फिदा हुसैन अंसारी	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थितिः

12.	श्री राम बिलास यादव	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
13.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
14.	डा. मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
15.	श्री दवनराम यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के विषय संख्या : 10 (कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में) पर गठित उपसमिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार भूमि अर्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 3 बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।**(बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्याः 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या)**

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव एवं गठित समिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 4 ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकारा में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : मुख्य नगर नियोजक व्दारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष बड़े मानचित्र की सहायता से प्रश्नगत स्थल को दर्शाते हुए महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को स्थापित किये जाने की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला गया। उपाध्यक्ष व्दारा भी इसे परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जन प्रतिनिधि श्री चौरसिया व्दारा अनुरोध किया गया कि नई योजनाओं में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को भी दृष्टिगत रखते हुए योजनाये प्रस्तावित की जायें।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र को सीनान्तरित किये जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं देयता के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 6	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मंजिले ब्लाक्स का निर्माण कार्य।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय का मत था कि दो बेड रुम फलैट्स को भी सम्मिलित किया जाये।
विषय संख्या : 7	एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 8	हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी. पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
विषय संख्या : 9	मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस–281 तथा एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 10	खसरा संख्याः 221 स, निकट टी.वी.टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रौल पम्प के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये।

विषय संख्या : 11	श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को रु0 50,000/–चिकित्सा सहायता के रुप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 12	प्रदेश की प्रथम भू–जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 13	ह्युमन ऐण्ड एजूकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड–6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 14	प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर– बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर के आवन्टित स्कूल भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर का स्कूल भूखण्ड परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर तथा पूर्व में आवन्टित क्षेत्रफल हेतु पुरानी दर लगाई जायेगी।

विषय संख्या : 15	कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी–1 में एसएस–।।। के ग्रीनबेल्ट में आवन्टित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या।
निर्णय :	समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। भू–उपयोग परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।
विषय संख्या : 16	अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था को अपने प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण (presentation) हेतु सूचित कर दिया जाये। यह प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय स्थित समिति कक्ष में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष किया जायेगा। इस प्रकरण पर विशेषज्ञ राय हेतु निदेशक,एन.बी.आर.आई. को भी आमन्त्रित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

13.9.06.

(आर.के.मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय कमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के विषय संख्या : 10 (कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध मे) पर गठित उपसमिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार भूमि अर्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार 40 एकड़ भूमि पर सम्पवेल के निर्माण कार्य हेतु खसरा एवं खतौनी आदि के समस्त विवरण संकलित कर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो दरों के निर्धारण हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जायेगा।

3	बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।**(बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्याः 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या)**	प्रस्तुत प्रस्ताव एवं गठित समिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।	प्रस्ताव निरस्त किया गया। तद्नुसार पक्ष को सूचित कर दिया गया।
4	ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म / सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर नियोजक व्दारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष बड़े मानचित्र की सहायता से प्रश्नगत स्थल को दर्शाते हुए महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म / सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज फार्म / सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को स्थापित किये जाने की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला गया। उपाध्यक्ष व्दारा भी इसे परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जन प्रतिनिधि श्री चौरसिया व्दारा अनुरोध	निर्णय के कम में शासन को पत्र संख्या : 1018 / सीटीपी / 06 दिनांक 14.11.2006 व्दारा अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। अभी शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

		किया गया कि नई योजनाओं में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को भी दृष्टिगत रखते हुए योजनाये प्रस्तावित की जायें। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।	
5	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं देयता के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार शासन को पत्र भेजा गया।
6	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मजिले ब्लाक्स का निर्माण कार्य।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय का मत था कि दो बेड रुम फलैट्स को भी सम्मिलित किया जाये।	प्राधिकरण बोर्ड व्दारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार भवनों के नियोजन का कार्य मे. आर्किटेक्ट ऐण्ड ऐसोसियेट्स से कराया गया है। प्रस्तावित दो नये ब्लाक्स में दो बेडरुम फलैट्स को भी सम्मिलित किया गया है।

			पूर्व में खोले गये पंजीकरणों की लाटरी दिनांक 7.12.06 को निर्धारित की गई किन्तु किसी भी आवेदक के न आने के कारण लाटरी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी। फलैट्स के आवन्टन हेतु लाटरी की तिथि पुनः निर्धारित की जा रही है। उपलब्ध मांग के आधार पर केवल एक ब्लाक के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु अध्यक्ष महोदय के अभिमत के दृष्टिगत दो बेडरुम के फलैट्स के लिये पुनः पंजीकरण खोला जायेगा तथा मांग के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी। रिट याचिका संख्याः 5700(एमबी) 06 केनरा बैंक बनाम ल. वि.प्रा. में दिनांक 4.10.06 को मा. उच्च न्यायालय व्दारा स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं जिसके दृष्टिगत निर्माण कार्य स्थगित है। याचिका में प्रभावी पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उमेश चन्द्र को अनुबन्धित किया गया है। मा. न्यायालय व्दारा स्थगनादेश वापस लिये

			जाने के उपरान्त निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा।
7	एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श . के उपरान्त अनुमोदित किया गया।	एकल आवास में प्रभार रहित एवं प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में श्री टी.पी.भटनागर व अन्य, भूखण्ड संख्या : बी–57, टीजीनार्थ चांदगंज, लखनऊ व्दारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। बोर्ड व्दारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने तत्समय लागू शासनादेश संख्या–553/9–आ–1–29 (विविध)98 आ.ब.दिनांक 25.1.03 के आधार पर अपना प्रस्ताव प्रेषित किया था। उनके व्दारा समस्त अनापत्ति एवं उनके शुल्क,एकल आवास में प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों पर रोक के आदेश के पूर्व प्राप्त हो गये थे। अतः बोर्ड व्दारा बी–57, टी.जी.नार्थ, चॉदगंज, लखनऊ के प्रकरण पर अनुमोदन हेतु आदेशित किया गया था, तद्क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

8	हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन. एवं डी.पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	कन्सप्चुअल डी.पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड व्दारा लिये गये निर्णय से शासन को अवगत करा दिया गया है।
9	मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस–281 तथा एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।	प्रश्नगत प्रकरण में धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रश्नगत क्षेत्र के ले–आउट प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन कर दिया गया है।
10	खसरा संख्याः 221 स, निकट टी.वी. टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रौल पम्प के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये।	निर्णयानुसार शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी गई है।
11	श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को रु0 50,000/– चिकित्सा सहायता के रुप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	लिये गये निर्णय के क्रम में भुगतान कर दिया गया है।
12	प्रदेश की प्रथम भू–जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय़ वन की स्थापना) के	प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार हो गई है तथा एन्ट्रेन्स प्लाजा, फुटपाथ, पार्किंग के टेन्डर स्वीकृति की प्रकिया में हैं

	सम्बन्ध में प्रस्ताव।		तथा काटेजेज एवं कैफेटेरिया का व्ययानुमान स्वीकृति की प्रक्रिया मे है। इस परियोजना का भू–विन्यास मानचित्र प्राधिकरण स्तर पर स्वीकृत की प्रक्रिया में है।
13	ह्युमन ऐण्ड एजूकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड–6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	बोर्ड व्दारा लिये गये निर्णय के कम में धारा–13 के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
14	प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर– बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर के आवन्टित स्कूल भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर का स्कूल भूखण्ड परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर तथा पूर्व में आवन्टित क्षेत्रफल हेतु पुरानी दर लगाई जायेगी।	निर्णयानुसार संस्था को स्कूल भूखण्ड परिवर्तन की सूचना दे दी गई है।

15	कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी–1 में एसएस–।।। के ग्रीनबेल्ट में आवन्टित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या।	समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। भू–उपयोग परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
16	अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था को अपने प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण (presentation) हेतु सूचित कर दिया जाये। यह प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष / आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय स्थित समिति कक्ष में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष किया जायेगा। इस प्रकरण पर विशेषज्ञ राय हेतु निदेशक,एन.बी.आर. आई. को भी आमन्त्रित किया जाये।	आगामी बोर्ड बैठक में प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण हेतु संस्था को सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्याः 03 पृष्ठ संख्याः 15

विषयः नजूल भूमि संख्याः 8डी, क्षेत्रफल 23876.325 वर्गफीट मोहल्ला रमना, दिलकुशा (विक्रमादित्य मार्ग), लखनऊ का भू–उपयोग आवासीय से कार्यालय में परिवर्तित करने के संबंध में ।

प्रस्तावः

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनाकः 25.09.2006 को अनुमोदित किया गया है। शासनादेश संख्या 5589/8–3–06–51एल.यू.सी./2006 दिनांकः 27.10.2006 के द्वारा शासन द्वारा लिये गये निर्णय एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु जारी सूचना को दिनांकः 31.10.2006 को प्रचलित हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। निर्धारित समयावधि में केवल एक आपत्ति प्राप्त हुई, जिसकी सुनवाई शासनादेश संख्याः 4816(1)/9–आ–3–2003–9महा./2002 दिनांकः 20.12.2003 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांकः 02.12.2006 को की गयी। उक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त पुनः प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से दिनांकः 04.12.2006 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया एवं इस कार्यालय के पत्र संख्याः 1066/वीसी/सीटीपी/2006 दिनांकः 07.12.2006 द्वारा शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त प्रस्ताव औपचारिक स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

14/12/2006

मुख्य नगर नियोजक

14/12/06

विषय संख्या: 04 **पृष्ठ संख्या: 16**

विषय: उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग के असुरक्षित घोषित जीर्ण–शीर्ण भवन संख्या: 8–तिलक मार्ग, लखनऊ का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग के असुरक्षित घोषित जीर्ण–शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन कार्यालय एवं व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु माननीय मंत्री, खादी तथा ग्रामोद्योग की अध्यक्षता में दिनांक: 13.10.2006 को बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें प्राधिकरण द्वारा नवीन भवन के भवन मानचित्र को स्वीकृत न किये जाने के कारण एवं स्थिति पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रेषित मानचित्र भूखण्ड संख्या: 8–तिलक मार्ग है एवं उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार आवासीय है। निशातगंज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका 2435 के निर्णय तथा उस पर आधारित शासनादेश संख्या: 355/9–आ–3–2004–215काम्प/2003 दिनांक: 29 जनवरी, 2004 एवं शासनादेश संख्या: 1941/9–आ–3–2003–62रिट/2003 दिनांक: 28 जून, 2004 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य न किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः प्राधिकरण स्तर से मानचित्र को अनुमोदित किये जाने में भू–उपयोग की समस्या सामने आयी है।

माननीय मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग की अध्यक्षता में दिनांक: 13.10.2006 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित कर दिया जाये। आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बैठक में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड में संचालन के माध्यम से अनुमोदित कराने हेतु अवगत कराया था किन्तु कतिपय कारणों से परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं कराया जा सका।

चूँकि स्थल पर पूर्व में कार्यालय भवन चल रहा था तथा उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय तथा शो रूम इत्यादि का निर्माण प्रस्तावित है। अतः 8–तिलक मार्ग, लखनऊ का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के आधार पर कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/XII/2006

मुख्य नगर नियोजक

16/12

731Planning

विषय: डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट जय प्रकाश नारायन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु भू–उपयोग हरित से संस्थागत में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद लखनऊ के भ्रमण के समय की गयी घोषणा के अनुरूप डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट जय प्रकाश नारायन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की अवधारणा एवं कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव शासन को दिनांक: 15.01.2006 को प्रेषित किया गया था। शासनादेश संख्या: 2570/आठ–1–06–289/एलडीए/2004, दिनांक: 14.06.2006 द्वारा उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु वित्त पोषण की स्वीकृति एवं प्राधिकरण द्वारा आंकलित परियोजना राशि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। शासन के निर्देशानुसार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 को नोडल विभाग नामित किया गया है। परियोजना के लिये भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये परियोजना के कॉन्सेप्ट में सी.एस.आई. के निकट स्थित 2.5 एकड़ भूमि पर जय प्रकाश नारायन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। महायोजना के अन्तर्गत इस भूमि का भू–उपयोग उप नगर केन्द्र व्यवसायिक है अतः रू0 8000/– प्रति वर्ग मीटर की दर से इस भूमि के लिये कुल रू0 8.09 करोड़ की धनराशि परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित की गयी थी।

परियोजना का नियोजन उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा किये जाने पर भूमि की आवश्यकता से संबंधित प्रस्तावों में परिवर्तन की आवश्यकता इंगित की गयी है। इस संबंध में निर्माण निगम के अधिकारियों व निर्माण निगम के आर्कीटेक्ट के साथ उच्चतम स्तर पर विभिन्न विकल्पों पर विमर्श हुआ था। निर्माण निगम द्वारा अवगत करायी गयी आवश्यकता के अनुसार सी.एस.आई. लॉन की कुल 10,468 वर्गमीटर भूमि, 10,366 वर्ग मीटर मूल भूमि एवं लोहिया पार्क में 50 फीट की पट्टी को सम्मिलित करते हुए परियोजना नियोजित किया जाना प्रस्तावित है।

रिट याचिंका संख्या: 2435 (एम/बी)/2001, निशातगंज रेजीडेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.01.2004 एवं शासनादेश संख्या: 355/9–आ–3–2004–215काम्प/2003 दिनांक: 29.01.2004 (प्रतिलिपि संलग्न) का भी बोर्ड संज्ञान लेना चाहे जिसमें हरित पट्टिका के भू–उपयोग को परिवर्तन करने पर रोक लगायी गयी है।

व्यवसायिक भू–उपयोग क्षेत्रफल 10,633 वर्गमीटर, सी.एस.आई. लॉन की भूमि, जिसका भू–उपयोग हरित है, का क्षेत्रफल 10,468 वर्गमीटर तथा लोहिया पार्क भूमि 16,989.292 वर्गमीटर जिसका भू–उपयोग हरित है अर्थात कुल क्षेत्रफल 38,090.292 वर्गमीटर पर जय प्रकाश नारायन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा मानचित्र जमा किया गया है। अर्थात सी.एस.आई. लॉन एवं डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के कुछ भाग को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल 27,457.292 वर्गमीटर भूमि का भू–उपयोग हरित से संस्थागत किये जाने जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

14/XII/2006

मुख्य नगर नियोजक

16/12

20.01.04

Court no. 3

Civil Misc. Writ Petition No. 2435 (MB) of 2001
Nishatganj Residents Welfare Society, Lucknow and others ...Petitioner
Vs.
Lucknow Nagar Nigam, Lucknow and others................ Respondents.

Hon'ble M. Katju, J.
Hon'ble K.S. Rakhra, J.

The case was taken up today and affidavit was filed alongwith compliance report of Sri S.P. Singh, Municipal Commissioner, Lucknow. We are surprised to note that despite the order of this Court to remove illegal encroachments some interim orders are being passed by the Civil Judge, Senior Division, Lucknow permitting them. If this is indeed true we may have to take action against the aforesaid judicial officer for contempt of court. The learned counsel for the parties will communicate this order to the concerned judicial officer who will immediately pass appropriate orders in accordance with law. If there is stay vacation application the same must be disposed off forthwith. We are also informed that some interim orders have been passed by this court in Second Appeal No. 340 of 1995 and we are informed that a stay vacation application has been filed in that case. We request that the aforesaid stay vacation application should be disposed off in the next week peremptorily by the court concerned and we hope and trust that this will be done. List the aforesaid case next before the Court concerned.

Although we feel that some action has been taken by the authorities concerned in compliance of our order dated 23.10.2003 yet we are not satisfied that there has been complete compliance of our orders. There are complaints of pick and chose in making demolition of illegal encroachments and illegal constructions. We feel that more effective action is required to be taken by the Committee constituted by us and the concerned officials should not succumb to any pressure in this connection, from any quarter, including politicians. The law is above everybody.

We further direct that sufficient police force and other infra-structure like bulldozers, JCB, crane, etc. will be provided to the Municipal Commissioner, Lucknow whenever he requests for the same.

We further direct that the hoarding showing portraits of politicians should be removed from the prohibited zones and also from Allahabad Bank crossing / G.P.O., Hazratganj and they shall not be permitted to be fixed in future. We further direct that no vehicles will be parked in no parking zones declared by the concerned authorities, and will only be parked in the places notified by the Traffic Police.

As observed in our order dated 23.10.2003, Lucknow is the capital of the State. It should look like the capital city with modern infra-structure, modern facilities and amenities etc. All the encroachments on the roads, lanes, footpaths and parks in the city must be removed forthwith and must not be allowed to recur. We are informed

that despite our specific mention of Daya Nidhan Park the shops there have not yet been removed. We direct that they should be removed forthwith and no further delay in the matter will be tolerated, otherwise action will be taken against the concerned authorities.

We have been informed that under the relevant rules wherever multi-storey buildings are erected basements/space have to be provided for parking vehicles, but what is actually happening is that these basements/spaces are being used for shops and other commercial activities. In our opinion this is wholly illegal and it is for this reason also that there is no sufficient place for parking vehicles. Such illegal shops and commercial ventures should be forthwith removed and such basements should not be used for the purpose for which they were supposed to be, that is for parking vehicles.

We are also informed that in such buildings some place is left for parking space. That must be used only for this purpose. We are informed that even after the encroachment is removed after a few days again the encroachment recurs. This is wholly improper and shall not be tolerated and the concerned authorities will see to it that this may not happen in future. Sometimes permission is granted for building a 5 storey building but 7 storeys are constructed and then compounding is sought for, and granted in collusion with the authorities. This is illegal, and such illegal constrictions should be removed.

In Smt. Mithlesh vs. State of U.P. writ petition no. 34957 of 2003 .. Division Bench of this Court referring to the earlier Division Bench of this Court in R.K. Mittal vs. State 2002 (1) UPLBEC 444 directed that no commercial or industrial activities shall be carried on in any area earmarked for residential purpose in any city in U.P. It was further directed that if commercial or industrial activities are being carried on in any city in U.P. in areas earmarked for residential purpose in the master plan of the city such activities must be immediately stopped by the authorities.

Despite this clear direction we are informed that in Lucknow in many areas earmarked as residential area in the master plan commercial or industrial activities are being carried on. This must be stopped forthwith otherwise the concerned authority shall be taken to task.

We are further informed that the L.D.A. and U.P. Housing Board and other concerned authorities are proposing to compound the commercial and industrial constructions set up in areas earmarked for the residential purpose in the master plan. We are of the opinion that no such compounding can be done as that would be wholly illegal and destructive of the master plan.

We are informed that to circumvent the relevant rules and the master plan the authorities often convert the user of some area earmarked as residential and convert it into commercial area. This again is illegal and against the very spirit of the master

[illegible] permitted

It has been brought to our notice that at some places the building has not been raised in accordance with the sanctioned plan. The residential buildings are used for commercial activities. This again is illegal. The vehicular increase of traffic for those buildings causes unnecessary parking on the roadside. Sometimes, the Nagar Nigam has granted thekas for parking vehicles on the roadsides. This is illegal and highly improper. Instead of granting thekas for parking of the vehicles action should be taken against the owners of the building and they shall be compelled to make arrangement of the parking of these vehicles within their own premises.

We are informed that places for parking vehicles is fixed by the traffic police but a large number of vehicles are being parked on the places which is not been earmarked for this purpose. This must be stopped immediately and vehicles should only be permitted to be parked at the place earmarked by the traffic police. Stern action should be taken against the persons parking vehicles at other places.

We are informed that parking lines have drawn by the traffic police in Hazratganj, etc. Hence no parking should be allowed beyond those lines and stern action must be taken against those persons parking the vehicles beyond those lines.

We are informed that problems arise when the police and authorities propose to take action against some V.I.Ps. who are breaking the rules regarding traffic, encroachments, illegal constructions etc. We make it clear that the law is above all persons. Everybody is under the law. As observed by the Supreme Court "be you however so high the law is above you." We therefore make it clear that the police and authorities will take legal action against all persons who break the rules even if such persons are V.I.Ps. This country is governed by the rule of law and not by the rule of V.I.Ps. Adequate staff shall be provided by the Chief Secretary for compliance of our directions.

We are informed that there are several green belts in the Lucknow city as shown in the master plan but in these green belts illegal construction has been done. This Court and the Supreme court has directed in several decisions that no construction shall be made in the green belt and such constructions are wholly illegal. The green belts must remain as green belts, and hence all such constructions shall be demolished forthwith and the green belt shall be restored.

We are further informed that multistoried buildings have illegally been constructed in the heritage zones. This is wholly illegal. For instance today in Hindustan Times Lucknow Live newspaper an item appeared entitled "Heritage eroded: Who cares?" It is further mentioned therein that unauthorised constructions have come up in Bhagwamau House behind Kaisarbagh. This newspaper will be kept on record.

We are informed that all the buildings of Kaisarbagh heritage zone, that is Kesarbagh Baradari and buildings surrounding the said building etc. are in the management of British India Association. They are supposed to be in their original

form and shape for all times. However, it has been brought to our notice that a large number of such buildings have been demolished / altered / reconstructed and new buildings erected there. This is wholly illegal. The heritage zone should be restored back forthwith to its original shape.

We are further informed that multi-storey building has been constructed in the vicinity of the Residency in violation of A.S.I. rules and other rules and probably this has been done in collusion with L.D.A. and A.S.I. authorities. We are further informed that the A.S.I. Superintendent Sri R.S. Fonia is not working properly and often has colluded with certain authorities. He is directed to appear before us on the next date and supply the list of constructions made in violation of the A.S.I. and other rules. If we find that he colluded in this violation of the A.S.I. rules we intend to take action against him.

We are informed that several cases are pending in this Court and sub-ordinate courts where interim orders have been granted against illegal encroachments / constructions. We request the Court concerned to decide the stay vacation application in these cases forthwith so that such illegal encroachments / constructions should not continue any further. We again reiterate that the intention of this exercise in this public interest litigation is to make Lucknow a modern, liveable city where people can live properly and have the requisite civic amenities for doing so.

It has been brought to our notice that the local police often permit vending on the footpath and lanes taking 'hafta.' Encroachments on bridges of Gomti river and embankments and river barriers have been encroached upon causing squalor. This is illegal and should be removed. Gomti river and its vicinity should be restored to its original glory.

There are several G.Os. to the effect that once encroachments have been removed from public places and they recur it shall be the responsibility of the local P.S. incharge. These should be strictly complied with.

We are also informed that in large areas of Lucknow there is great shortage of drinking water in many colonies. In many areas water comes only one hour in the morning and one hour in the evening and sometimes even that is not available. This matter has to be taken very seriously otherwise in the summer months there are likely to be riots, chakka jam, *dharna* etc. We therefore direct the Committee to take up the matter very seriously and consult technical experts of this field so that the water shortage problem for the citizens of Lucknow is solved as quickly as possible. We are informed that rain water harvesting is widely used in many cities and that shall also be considered by the Committee and appropriate rules shall be made accordingly.

List again before us on 19.3.2004 on which date another progress report shall be submitted before us by the Committee.

The Registry is directed to list similar petitions also before us and connect such similar petitions pending in this Court with this writ petition. List of all such petitions will be supplied by the concerned counsels to the office.

5

Let a copy of this order be given to the parties concerned free of charge today. We wish to express our appreciation to Mr. S.P. Singh, Municipal Commissioner, Lucknow who appeared before us today. We are of the opinion that he is a sincere dynamic young officer and he shall be given all support by all authorities to ensure compliance of this order. We also wish to express our appreciation to Sri V.K. Singh, Sri Shailendra Singh Chauhan, Sri Prashant Chandra, Sri Rajeev Sharma and other counsels who have assisted the Court in this public interest litigation.

Dt: 20.1.2004

संख्या- 355/ 9-आ-3-2004-215काम्प/ 2003

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1--आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2-उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग--3 लखनऊ:-दिनांक 29 जनवरी, 2004

विषय: रिट याचिका संख्या-2435 (एम/बी)/ 2001, निशातगंज रेजीडेन्टस वेलफेयर सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 20.1.2004 का प्रभावी अनुपालन किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.2004 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास तथा प्रदेश की राजधानी होने के कारण इसे आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने एवं मूल भूत जनसुविधाओं से युक्त बनाये जाने की दिशा में सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने, अवैध निर्माण को गिराये जाने, बहुमंजिला इमारतों के साथ समुचित पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने, शमनीय निर्माणों को ही विनियमित किए जाने, मास्टर प्लान के विरुद्ध किये जा रहे भू-उपयोग पर अंकुश लगाये जाने, ग्रीन बेल्ट का मूल स्वरूप बनाये रखने एवं उसमें हुए अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किए जाने, हरितज जोन में बहुमंजिले इमारतें बनाये जाने की अनुज्ञा न दिये जाने एवं इस जोन के मूलस्वरूप को संरक्षित रखने तथा नगर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को और अधिक विकसित किए जाने के निर्देश विशिष्ट रूप से दिये गये हैं।

2-- जहां तक सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने के सम्बंध में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने तथा मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किए गये निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने का बिन्दु है, इस सम्बंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश शासनादेश संख्या-2432/ 9-आ-1-अतिक्रमण/03 (आ.ब.) दिनाँक 4.4.2003 के माध्यम से प्रसारित किए जा चुके हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने

जाने हेतु स्थानीय निकाय/ अभिकरणों जिला एवं पुलिस प्रशासन का समुचित सहयोग प्राप्त करते हुए समन्वित रूप से अभियान चलाया जाए और समयबद्ध कार्ययोजना के तहत अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण चिन्हित करते हुए उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाय। अतिक्रमण हटाओ अभियान में भेदभाव न करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने पाए।

3— बहुमंजिले भवनों के साथ समुचित पार्किंग व्यवस्था के सम्बंध में विकास प्राधिकरणों को समय–समय पर दिशानिर्देश निर्गत किए गये हैं और इस निमित्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000, जो नेशनल बिल्डिंग कोड पर आधारित है, के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग के लिए चिन्हित बेसमेंट का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कदापि न होने पाये और इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाये।

4— मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गये आदेशों में मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विपरीत विशेषकर आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन पर आपत्ति व्यक्त की गयी है और ऐसे अनधिकृत निर्माण/ प्रयोग को शमन किए जाने की प्रक्रिया को अवैध ठहराया गया है तथा इन्हें तत्काल हटाये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–34957/ 2003, मिथिलेश जैन आगरा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.6.2003 को पारित आदेशों के क्रम में शासनादेश संख्या–सी.एस.–89(1)/ 9–आ–3–2003–62 रिट/ 2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रहे व्यवसायिक/ औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने सम्बंधी आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–2444/ 9–आ–1–2001 दिनांक 15.5.2001 द्वारा नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/ भवन के अवैध उपयोग के विरूद्ध उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाही किए जाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं।

5— अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निदेशित किया जाता है कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण का किसी भी दशा में शमन नहीं किया जाएगा।

6— मास्टर प्लान में चिन्हित 'ग्रीन बेल्ट' में अवैध रूप से किए गये निर्माण को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर प्रकरण मानते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर के लिए आरक्षित ग्रीनबेल्ट के स्वरुप को प्रत्येक दशा में यथावत बनाये रखा जाय और ग्रीन बेल्ट में निर्मित भवनों को तत्काल चिन्हित कर ध्वस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस प्रसंग में शासन द्वारा समय–समय पर शहरों में मास्टर प्लान के अनुरूप ग्रीनबेल्ट की व्यवस्था का यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

7- जहां तक मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित [illegible] आदेश का सम्बंध है कि हेरिटेज जोन में अवैध रूप से, जिन निर्माणों को हटा [illegible] जाय और उसका मूल स्वरूप पुनः स्थापित किया जाय, इसके परिपालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व में शासनादेश संख्या-21703/ 9-आ-3-98-[illegible] 98 टी.सी. दिनांक [illegible] द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इमारतों, पुरातत्वीय स्थलों के निकट निर्माण को निषिद्ध करने एवं विनियमन [illegible] सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8- लखनऊ नगर में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को और विकसित किए जाने के निमित्त उपयुक्त नियमावली बनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। नियमावली बनाए जाने का बिन्दु नगर विकास विभाग से सम्बंधित है परन्तु इस विषय पर पूर्व में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1703/ 9-1-29 वि./ 95(आ.ब.) दिनांक 12.4.2001 तथा शासनादेश संख्या-3671/ 9-आ-1-17विविध/ 03 (आ.ब.) दिनांक 19 जून, 2003 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

9- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अन्य स्थानीय निकाय/ अभिकरणों एवं सम्बन्धित विभागों का वांछित सहयोग प्राप्त करते हुए एक सघन अभियान चलाया जाय तथा प्रगति से शासन को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

5.2.04

(जे.एस.मिश्र)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
6- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
9- नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
11- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रामवृक्ष प्रसाद)

विशेष सचिव।

विषय संख्याः 06 **पृष्ठ संख्याः 27**

विषयः लखनऊ महायोजना 2021 की जोन–3 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–9 के प्राविधानों के अनुसार महायोजना में निर्धारित जोन्स का जोनल प्लान बनाने का प्राविधान दिया गया है तथा शासन द्वारा भी समय–समय पर शीघ्र जोनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के अनुपालन में लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित जोन्स की जोन संख्या–3 का जोनल प्लान प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेन्ट के माध्यम से तैयार कराया गया है, जोन संख्या–3 का कुल क्षेत्रफल 2,350 हेक्टेयर है। अतः कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये जोनल प्लान को उपरोक्त सन्दर्भित अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

16/12/2006

मुख्य नगर नियोजक

16/12

863Planning

विषय संख्या: 07 पृष्ठ संख्या: 28

विषय: कानपुर रोड योजना के सेक्टर–'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी भूमि पर निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि का भू–उपयोग आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र तथा शेष आधे भाग पर कन्वीनियेन्ट शाप्स बनाये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

कानपुर रोड योजना के सेक्टर 'जी' में भवन संख्या: एमआईजी–208 के मध्य रिक्त पड़ी भूमि तलपट मानिचत्र में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु आरक्षित है। प्रश्नगत भूमि पर सामुदायिक शौचालय का प्राविधान कमजोर वर्गो के मकानों में शौचालय का प्राविधान न होने के फलस्वरूप किया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र की सीवर लाइन जोड़ देने के कारण सुलभ शौचालय निष्प्रयोज्य हो गया, जिस कारण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक: 02 मई, 2006 को कानपुर रोड योजना के सेक्टर–जी के ले–आउट प्लान में सार्वजनिक शौचालय के भूखण्ड पर आधे भाग में सामुदायिक केन्द्र व शेष आधे भाग पर कन्वीनियन्ट शाप्स बनाये जाने की स्वीकृत दी गयी। बोर्ड के निर्णय के कम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अनुसार आपत्ति एवं सुझाव हेतु दिनांक: 10.06.2006 को दो समाचार पंत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः शासनादेश सं0: 2438/9–आ–3–90–60एल.यू.सी./96 दिनांक: 13 अक्टूबर, 1998 के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है। अतः सार्वजनिक शौचालय की भूमि के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र तथा शेष आधे भाग पर कन्वीनियन्ट शाप्स हेतु भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

14/XII/2006

मुख्य नगर नियोजक

संख्या–2438/9–आ–3–90–60एल.यू.सी./96

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर,1998

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 4900/9–आ–3–96–60एल.यू.सी./96 दिनांकः 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले–आउट प्लान संशोधित कर भू–उपयोग परिवर्तन के लिये भी सम्पूर्ण प्रकिया उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अनुसार जनता से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 व 15 के अन्तर्गत ले–आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर । अतः ले–आउट प्लान में संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्नविचार किया गया।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये गये विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखएछ के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु ऐसे संशोधन की कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 में निहित प्रकिया के समान ही की जाये। अर्थात ऐसे मामलों में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तथा आपत्ति कर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते

हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित कीं जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू–उपयोग परिवर्तन के लिये भू–स्वामियों से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

ह0/–
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या–2438(I)/9–आ–3–98 तद्‌दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपिक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल।
4. उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,
ह0/–
(एच0पी0सिंह)
अनुसचिव

विषयः—एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के संबंध में।

प्रस्तावः—

पूर्व में महानगर लखनऊ में आवासीय भू—उपयोग के अन्तर्गत तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं स्वीकृत योजनाओं में आवासीय भूखण्डों पर एकल आवासीय भवन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान था तथा प्राधिकरण की योजनाओं में इस हेतु लीज डीड अथवा फ्री—होल्ड डीड में यह अंकित भी किया जाता रहा है। एकल आवासीय भवन का तात्पर्य छोटे भूखण्डों पर न्यूनतम एक कमरा, किचेन, ट्वायलेट तथा बड़े भूखण्डों पर न्यूनतम दो कमरे, किचेन, ट्वायलेट के निर्माण से है जैसा कि फ्री—होल्ड के शासनादेश संख्या—1639/9—आ—1—65—80 मिस/86 दिनांक 10.05.1995 तथा शासनादेश संख्या—1778/9—अ—95—213डी.ए./94 दिनांक 24.05.1995 से स्पष्ट है।

भवन उपविधि—2000 के अन्तर्गत 1000 वर्गमी0 तक के भूखण्डों पर आवासीय यूनिट, प्रभार रहित व प्रभार सहित दिये जाने का प्राविधान किया गया तथा 1000 वर्गमी0 से ऊपर ग्रुप हाउसिंग का प्राविधान था किन्तु ग्रुप हाउसिंग प्राविधान संशोधित होने के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमी0 हो गया (शासनादेश संख्या—3001/9—आ—3—2001/19विविध/2001(आ.ब.) दिनांक 29.08.2002), ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप 2000 वर्गमी0 तक के भूखण्ड एकल आवासीय भवन की श्रेणी में आ जाने के कारण भूमि के आप्टीमम् उपयोग के दृष्टिगत 500 वर्गमी0 से 2000 वर्गमी0 तक के भूखण्डों हेतु प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के प्राविधान शासन द्वारा शासनादेश संख्या—553 दिनांक 25.01.03 द्वारा जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रदेश में आवासीय इकाईयॉ दी जाने लगी। आवासीय इकाईयों के दिये जाने के विरोध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर गाजियाबाद के निवासी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर वाद संख्या—2342/2004 आई.सी.अग्रवाल बनाम डी.पी. सिंह उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य में निर्णय के फलस्वरूप पुनः शासनादेश संख्या—885/आठ—01—05—29विविध/98(आ.ब.) फरवरी 2005 जारी किया गया जिसमें उपविधि में अंकित एकल आवास को प्लाटेड विकास से प्रतिस्थापित किया गया तथा प्रभार सहित व प्रभार रहित इकाईयॉ दिये जाने हेतु स्थान चिन्हीकरण हेतु भी आदेशित किया गया। प्राधिकरण की बहुत पुरानी योजनाएं जैसे—हजरतगंज, बटलरगंज, लाप्लास, हुसैनगंज, मालएवेन्यू, क्ले स्क्वायर, बलन्ट स्क्वायर, ए0पी0 सेन रोड, बशीरतगंज, आलमबाग, मानक नगर आदि में बहुत बड़े—बड़े भूखण्ड हैं जिनका आकार 500 वर्गमी0 से 2000 वर्गमी0 के अन्दर है. पर वर्तमान में भू—स्वामियों द्वारा बढ़ती आवश्यकता एवं बेहतर रिहायश के दृष्टिगत यूनिट हेतु आवेदन दिये गये हैं।

एकल आवास में प्रभार रहित एवं प्रभार सहित इकाईयों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–885/ आठ–01–05–29विविध/98(आ.ब.) दिनांक 09.02.05 के क्रम में महानगर, निराला नगर, न्यू हैदराबाद आदि में चिन्हीकरण पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.06 विषय संख्या–7, पर किया जा चुका है (फोटोप्रति संलग्न है)। वर्तमान में शहर के शेष भागों में जैसे थाना क्षेत्र हजरतगंज, हुसैनगंज, नाका, आलमबाग आदि के समस्त क्षेत्रों में एकल आवास के अन्तर्गत प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के प्रत्यावेदन/मानचित्र प्राप्त हो रहे है, ऐसी स्थिति में शासनादेश दिनांक 09.02.05 के अनुसार थाना क्षेत्र हजरतगंज, हुसैनगंज, नाका, आलमबाग, मानक नगर में भी प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयॉ दिये जाने का चिन्हीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

AE
6/11/2

16/12

विषयः एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के संबंध में।

प्रस्तावः

पूर्व में महानगर लखनऊ में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं स्वीकृत योजनाओं में आवासीय भूखण्डों पर एकल आवासीय भवन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान था तथा प्राधिकरण की योजनाओं में इस हेतु लीज डीड अथवा फ्री–होल्ड डीड में यह अंकित भी किया जाता रहा है। एकल आवासीय भवन का तात्पर्य छोटे भूखण्डों पर न्यूनतम एक कमरा, किचेन, ट्वालेट तथा बड़े भूखण्डों पर न्यूनतम दो कमरे, किचेन, ट्वालेट के निर्माण से है जैसा कि फ्री–होल्ड के शासनादेश संख्याः 1639/9–आ–1–65–80मिस/86 दिनांकः 10.05.1995 तथा शासनादेश संख्याः 1778/9–अ–95–213डी.ए./94 दिनांकः 24.05.1995 से स्पष्ट है।

भवन उपविधि–2000 के अन्तर्गत 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय यूनिट, प्रभार रहित व प्रभार सहित दिये जाने का प्राविधान किया गया। तथा 1000 वर्गमीटर से ऊपर ग्रुप हाउसिंग का प्राविधान था किन्तु ग्रुप हाउसिंग प्राविधान संशोधित होने के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो गया (शासनादेश संख्याः 3001/9–आ–3–2001/19विविध/2001(आ.ब.) दि0: 29.8.2002), ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड एकल आवासीय भवन की श्रेणी में आ जाने के कारण भूमि के आप्टीमम् उपयोग के दृष्टिगत 500 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों हेतु प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के प्राविधान शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 553 दिनांकः 25.01.03 द्वारा जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रदेश में आवासीय इकाईयॉ दी जाने लगीं। आवासीय इकाईयों के दिये जाने के विरोध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर गाजियाबाद के निवासी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर वाद संख्याः 2342/2004 आई.सी.अग्रवाल बनाम डी.पी.सिंह उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य में निर्णय के फलस्वरूप पुनः शासनादेश फरवरी, 2005 जारी किया गया जिसमें उपविधि में अंकित एकल आवास को प्लाटेड विकास से प्रतिस्थापित किया गया तथा प्रभार सहित व प्रभार रहित इकाईयॉ दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण हेतु भी आदेशित किया गया। प्राधिकरण की बहुत पुरानी योजनाऍ जैसे– महानगर, निराला नगर, न्यू हैदराबाद आदि में बहुत बड़े–बड़े भूखण्ड हैं जिनका आकार 500 वर्गमी0 से 2000 वर्गमी0 के अन्दर है, पर वर्तमान में भू–स्वामियों द्वारा बढ़ती आवश्यकता एवं बेहतर रिहायश के दृष्टिगत यूनिट हेतु आवेदन दिये गये हैं।

अतः प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत पुरानी योजनाओं में प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयॉ दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण शासनादेश संख्याः 885/आठ–1–05–29विविध/98(आ.ब.) दिनांकः 09.02.2005 के क्रम मे प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं जैसे–महानगर, निरालानगर, न्यू हैदराबाद आदि में अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

17/8/2006
(सी0 बी0 शमा।)
मुख्य नगर नियोजक

विषय : ट्रांसगोमती क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के स्थल परिवर्तन से योजना की लागत में हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा सहभागिता धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

अवगत कराना है कि गोमती एक्शन प्लान के अंतर्गत सम्पूर्ण ट्रान्सगोमती क्षेत्र के सीवेज शोधन हेतु राजस्व ग्राम ककरहा में 370 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की परियोजना स्वीकृत है एवं इसके अधीन गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों, जिसमें सिस गोमती क्षेत्र के 08 व ट्रांस गोमती क्षेत्र के 12 नालों को टेप करने, पम्पिंग स्टेशन व राइजिंग मेन डालने के कार्य कराये जा रहे हैं।

कालान्तर में लखनऊ महायोजना 2021 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग आवासीय कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्लांट के स्थल को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ी। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 04.09.2006 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए स्थल परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के निर्माण के लिए दिनांक 06.07.2006 को उत्तर प्रदेश जल निगम एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण के समय चयनित स्थल राजस्व ग्राम-लौलाई/देवरिया की लगभग 120 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। स्थल परिवर्तन के कारण परियोजना लागत में वृद्धि भी सम्भावित है; जिसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि से योजनाओं के समानुपात में की जाएगी। स्थल परिवर्तन व सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण प्राधिकरण की गोमती नगर क्षेत्र की विकसित, विकासशील एवं भावी योजनाओं के हित में है तथा पूर्णतया उपयोगी है।

कृपया, विषय विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

D:\CE (Lda102)\SO-OPR\Others\Oth0005 board.doc

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्थाओं, शोधन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम, जल संस्थान लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की सम्पन्न हुयी

बैठक दिनांक 04.07.2006 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्नानुसार।

मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आहुत की गई बैठक में, बैठक के उद्देश्यों, आवश्यकता पर विस्तृत रूप से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया कि,

- लखनऊ महानगर की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्थाओं का विरचन एवं सम्पादन तैयार की गयी महायोजनाओं के अनुरूप ही किये जाने पर कार्यवाही की जाये।
- विभिन्न विभागों द्वारा परियोजनाओं के विरचन एवं सम्पादन, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं उन्हें नगर की भविष्य की योजनाओं के अनुरूप विकसित करने, सही तकनीकी का समावेश करके पर्याप्त अनुरक्षण व संचालन की व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों द्वारा सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- विकसित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं में कमी अवरोध यदि कोई है के सुधार एवं निस्तारण तक आवश्यकतानुसार सुदृढ़िकृत करने तथा विकासशील योजनाओं में सीवरेज, ड्रेनेज के कार्य, भविष्य की अवश्यकताओं के दृष्टिगत करने का प्रयास किया जाये।
- शहरीकरण की बढती प्रवृत्ति भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन से भूमिगत स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिंता व्यक्त की गयी। भूतल पेयजल के उपयोग की योजना तैयार करने और आवश्यकतानुसार कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिये।
- लखनऊ के लिये भूतल-जल के सुविधाजनक स्रोत गोमती नदी को शहरी विकास से उत्पन्न होते प्रदूषण से बचाव के हर सम्भव प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। गोमती प्रदूषण नियन्त्रण की योजनाऐं उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्वीकृत करायी गयी है किन्तु उनकी जानकारी अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, प्राईवेट डेवलपर्स को नहीं है। जल निगम द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के प्रस्तावित कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव सूचित किये जाने की आवश्यकता है।
- यह भी अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत सीवरेज, ड्रेनेज, राईजिंग मेन तथा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के प्रस्ताव किये गये थे। संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 के प्रस्तावों में योजना के पूर्व में प्रेषित तकनीकी प्रस्ताव प्रभावित होंगे और लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकताओं की पूर्ति कदाचित सम्भव नहीं होगी। अत: वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप परियोजना में तकनीकी समावेश, संशोधन एवं पुनरीक्षिण करने की आवश्कता है।

- गोमती नगर एवं संबंधित क्षेत्र, 2. कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 3. सीतापुर रोड योजना, अलीगंज योजना, जानकीपुरम् योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 4. वसंत कुंज योजना, हरदोई रोड योजना एवं संबंधित क्षेत्र की सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनाओं पर जिस ओर लखनऊ का विकास तीव्रता से हुआ है/प्रस्तावित है/सम्भावित है की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करते हुये नियंत्रित सुनियोजित एवं दीर्घकालिक परियोजनाओं का विरचन किये जाने एवं तदनुसार विकास/निर्माण की आवश्यकता है।
- इन परियोजनाओं में स्वीकृत परियोजना के मूल्य में वर्तमान आवश्यकता को सम्मिलित करते हुये लागत में यदि वृद्धि हो रही है तो इस क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं/आवंटियों से अवस्थापना सुविधा के लिये धनराशि वसूल की गयी है। अतः विकसित होने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त अन्तर की धनराशि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

बैठक के उद्देश्यों की विवेचना के उपरान्त, महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई श्री बी0यू0 बिश्नाई द्वारा गोमती एक्शन प्लान में स्वीकृत परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया।

जी.एम., जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान दो चरणों में पूर्ण कराया जाना है। प्रथम चरण में दौलतगंज में 42 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना कर दी गयी है और कार्यरूप में है।

द्वितीय चरण में गोमती में गिरने वाले 20 नालों जिसमें सिस गोमती क्षेत्र के 8 व ट्रांस गोमती क्षेत्र के 12 नालों को टेप करना तथा ककरहा में 370 एम0एल0डी0 का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण करने, पम्पिंग स्टेशन व राईजिंग मेन डालने के कार्य हेतु गोमती प्रदूषण नियन्त्रण में 263.00 करोड़ की योजना स्वीकृत है एवं इसके अधीन स्वीकृत कार्य कराये जा रहे हैं।

स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष ग्वारी कल्वर्ट के पास मुख्य पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रगति पर है। जिसमें टेप किये गये नाले व गोमती नगर योजना फेज-। एवं ।। की सीवरेज व्यवस्था को टेप करते हुये ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक शुद्धीकरण हेतु भेजने व शुद्धीकरण करने के कार्य प्रस्तावित हैं।

यह भी अवगत कराया गया कि Japan International Corporation Agency (जायका) के प्रयास से लखनऊ महानगर की सीवर व्यवस्था एवं इसके ट्रीटमेन्ट के लिये फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं इसके अधार पर सीवरेज महायोजना के अवशेष कार्यो को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में रू0 2525.00 करोड़ की योजना उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकता के अनुरूप सीवरेज महायोजना में कुल 4 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रमशः ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये ककरहा में 375 एम.एल.डी., सिस गोमती डिस्ट्रिक-1 में दौलतगंज-42 एम.एल.डी., डिस्ट्रिक-2 ख्वाजापुर में 152 एम.एल.डी. डिस्ट्रिक-4 मलेसेमऊ में 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित किये गये हैं और सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये सीवर लाईन, पम्पिंग स्टेशन, राईजिंग मेन के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं।

दौलतगंज में निर्मित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता 42 एम.एल.डी. से बढाकर 56 एम.एल.डी. करने की आवश्यकता प्राधिकरण की विकसित की जा रही कालोनी बसन्त कुंज के दृष्टिगत आवश्यक है। क्षमता वृद्धि की योजना बनाई जा रही है।

ककरहा में प्रस्तावित एवं स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये भूमि की व्यवस्था तत्काल आवश्यक है जहॉ पर स्वीकृत योजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण प्रस्तावित किया गया था, संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 में उस क्षेत्र को आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित कर दिया गया है। अत: लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही तुरन्त कराई जानी आपेक्षित

स्थल परिवर्तन के कारण परियोजना में लगभग रू0 300 लाख की वृद्धि सम्भावित है। स्थल परिवर्तन प्राधिकरण की भावी योजनाओं के हित में है तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण एवं उपयोग प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर फेज 1, फेज 2 एवं गोमती नगर विस्तार की आवश्यकताओं के लिये भी किया जाना है। अत: परियोजना के मूल्य में संभावित वृद्धि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर विचार किया जाना है जिसके लिये विकास प्राधिकरण में आवंटियों से धन प्राप्त करने की कार्यवाही आपेक्षित है।

ख्वाजापुर में प्रस्तावित 152 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जिसका निर्माण जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में प्रस्तावित किया गया है का भी स्थल परिवर्तन लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप आवश्यक है और यह सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना के लिये मूल रूप से निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। अत: योजना के लिये प्रस्तावित लागत रू0 493.31 करोड़ की 70 प्रतिशत धनराशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन से वित्त पोषित होगी। शेष धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किये जाने पर विचार किया जाना है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये ही आवश्यक है और इस सेवा के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवांटियों से धनराशि प्राप्त की कार्यवाही आपेक्षित है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की व्यवस्था हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 जल निगम एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ दिनांक 06.07.2006 को स्थल निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल लखनऊ महायोजना 2021 में एस.टी.पी. के लिये आरक्षित और उपयुक्त पया गया। भूमि अर्जन की कार्यवाही तत्काल किया जाना आपेक्षित है। निरीक्षण के समय कानपुर रोड योजना की वर्तमान वर्षा जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी देखी गयी, किला मोहम्मदी ड्रेन से वर्तमान जल निकासी व्यवस्था की इठूरिया पुलिया के सेक्शन को उपयुक्त नहीं पाया गया, साथ ही लगभग 50 किमी0 लम्बे किला मोहम्मदी ड्रेन को अनुरक्षण एवं उपयुक्त बनाये रखने पर फिजिबिलिटी का अध्ययन कराने की कार्यवाही आपेक्षित है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1994-95 में प्राधिकरण की योजनाओं क्रमश: शारदानगर, कानपुर रोड एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वर्षा जल निकासी हेतु योजनाऐं नीलमत्था ड्रेन रेलवे लाइन के साथ सिंचाई विभाग की कालोनी के मध्य से शारदानगर स्केप के एलाइन्मेन्ट में ड्रेन के निर्माण जिसमें लगभग 4 किमी0 में 8 मी0 का लेबिल डिफरेन्स था, का अध्ययन कराया गया था। आई0आई0टी0 के प्रोफेसर को स्थल निरीक्षण कराया गया तथा परियोजना तैयार कराई गई थी। शारदा नहर पर

एक्वाडक्ट की डिजाईन का प्रस्ताव भी सिंचाई विभाग को भेजा गया था एवं तैयार कराया गया था। किन परिस्थतियों में इस योजना को स्थगित किया गया था, जानकारी नहीं हो पाई है।

मस्तेमऊ में प्रस्तावित 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं अन्य कार्य हेतु डिस्ट्रिक जोन-4 के लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा 971.06 करोड़ की परियोजना है इस क्षेत्र में आवास विकास परिषद की वृन्दावन योजना तथा हाईटेक टाउनशिप का क्षेत्र प्रस्तावित है। अत: वित्तपोषण हेतु संबंधित निर्माण/विकास करने वाली संस्थाओं से विचार कर 30 प्रतिशत वित्त पोषण पर भी निर्णय लिये जाने की कार्यवाही आपेक्षित है।

दौलत गंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के संशोधित उत्प्रवाह का उपयोग सिंचाई कार्यो में करने पर चर्चा की गयी। लखनऊ महानगर में हजरतगंज से सीतापुर रोड छोटा इमामबाड़ा तक दोनों तरफ बहुत बड़े भू-भाग पर सरोजनी नायडू पार्क, लक्ष्मण पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, शहीद पार्क, सूरज कुण्ड पार्क, महावीर पार्क, बुद्धा पार्क, नींबू पार्क, गुलाब वाटिका, घण्टाघर पार्क आदि ऐसे पार्क हैं जिनकी सिंचाई व्यवस्था भूमिगत जल से की जा रही है और भूतल जल स्रोतों में दिन प्रतिदिन हो रही कमी के दृष्टिगत यह उचित नहीं है। भूमिगत जल का पेयजल में उपयोग किया जाना ही उचित है। भूमिगत जल का संरक्षण प्रथम वरीयता पर विचारणीय है। अत: ऐसी परियोजना तैयार करने का निर्देश विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता, जोन-8 को दिये गये कि जल संस्थान व जल निगम के क्षेत्रीय अभियन्ताओं के सहयोग से ट्रीटेड सीवरेज का उपयोग कर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गयी। यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि यह परीक्षण करा लें की दौलतगंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शुद्धीकृत जल का उपयोग औद्यानिक कार्यो में करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

महाप्रबन्धक (गोमती), जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्वारी कल्वर्ट पर निर्माणाधीन एम.पी.एस. जो कि गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, में गोमती नगर क्षेत्र के सीवेज के कलैक्शन की व्यवस्था भी की जानी सम्भव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था हेतु पूर्व में प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 984.52 लाख बनाया गया था, परन्तु अब जल निगम द्वारा इस हेतु रू0 299.49 लाख का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया जिसमें इस कार्य में लगभग रू0 685.03 लाख प्राधिकरण को बचत होगी। इस धनराशि की मांग जल निगम द्वारा पत्र सं0 1190/W-27/22 दिनांक 02.05.2006 के माध्यम से की गयी है, जिसको कि तुरन्त से जल निगम को दिया जाना आपेक्षित ताकि यह कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो सके।

गोमती नगर विस्तार फेज-1,2,3 के लिये सीवरेज व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी, महाप्रबन्धक, जल निगम से अनुरोध किया गया कि प्राधिकरण की इस योजना के लिये पम्पिंग स्टेशन एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक राईजिंग मेन की योजना तैयार कराई जाये ताकि प्राथमिकता पर कार्य कराया जा सके। महाप्रबन्धक द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना फेज-1,2,3 की तकनीकी सूचनाऐं उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, इस हेतु अधिशासी अभियन्ता जोन-1 से अपेक्षा की गयी की समस्त सूचनाऐं कन्सल्टेन्ट से विचार विमर्श कर जल निगम को उपलब्ध करा दें।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया, कि कानपुर रोड एवं मोहान रोड के मध्य लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के

लिए सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु महायोजना में भूमि आरक्षित है। अतएव इस क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था हेतु सीवरेज महायोजना में तदनुसार प्रस्ताव सम्मिलित किए जाएं।

<u>ड्रेनज</u>:-

नगरीय क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था एवं विकसित होने वाले क्षेत्रों की ड्रेनेज व्यवस्था एवं गोमती में गिरने वाले गन्दे नालों को ट्रेप कर शुद्धीकृत करने पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्धक, गोमती एक्शन प्लान श्री बिश्नोई द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप कर ककरहा में शुद्धीकृत करने की परियोजना स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है। वर्तमान योजना में हैदर कैनाल को भी टेप करने की परियोजना स्वीकृत है किन्तु बाद में मस्तेमऊ में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण उपरान्त डायवर्जन कर दिया जायेगा।

गोमती नदी में गिरने वाले नालों पर, जिनका कैचमेंट एरिया एच.एफ.एल. से नीचा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, वर्तमान में आवासीय/व्यवसायिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु विकसित किए गये हैं या किये जा रहे हैं, यथा शक्तिनगर, संजय गांधी पुरम, महानगर, गोमती नगर फेज-1 का भाग एवं गोमती नगर विस्तार आदि, के बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण की स्थिति एवं संचालन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया, कि गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप करने एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण प्रक्रिया में है अथवा हो चुके हैं।

स्थापित बाढ पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता, व्यवस्था एवं संचालन की स्थिति संलग्नानुसार है।

गोमती नगर विस्तार योजना के लिए बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि विश्वास खण्ड एवं डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क के मध्य से गुजरने वाले कुकरैल नाले को टेप करने की व्यवस्था है अथवा नहीं, अवगत कराया गया कि सम्भवतः छूट गया है। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा सुझाव दिया गया कि इसे भी टेप कर लिया जाय।

गोमती नगर फेज-1 एवं फेज-2 में कतिपय स्थलों पर जलभराव के समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। उनके कारणों एवं निदान का अध्ययन पुनः करा लिया जाये और समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

गोमती नगर की ड्रेनेज व्यवस्था ग्वारी कल्वर्ट से है। महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि इस नाले को ग्वारी कल्वर्ट पर निर्मित होने वाले मेन पम्पिंग स्टेशन में टेप कर दिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा गोमती नगर योजना में प्रस्तावित ड्रेनेज व्यवस्था को टेप करने फ्लड पम्पिंग स्टेशन बनाने एवं बैरल के निर्माण के सन्दर्भ में तत्काल कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी। अधिशासी

अभियन्ता, जोन-1 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम व सिंचाई विभाग से सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभाग के साथ सम्पर्क कर शीघ्रता कराने का निर्देश दिया गया है।

कानपुर रोड योजना की ड्रेनेज व्यवस्था के निस्तारण में अवरोधों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। अधि0 अभि0 जोन-13 द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा किला मोहम्मदी ड्रेन को सुदृढ करने की परियोजना अन्तिम चरण में है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद सम्भवत: ड्रेनेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

जानकीपुरम् विस्तार एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये मुख्य नाले के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। अधि0अभि0 से निर्मित होने वाले नाले अथवा वर्तमान में स्थित नाले को सीधे गोमती नदी में गिराये जाने की स्थिति की जानकारी चाही गई। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उ0प्र0 जल निगम व क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि गोमती एक्शन प्लान द्वितीय में स्वीकृत अन्तत: डिस्पोजल की स्थिति से अवगत कराया जाय। सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य आई.आई.एम. तक प्रस्तावित प्राधिकरण की नयी योजना के सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्ध, उ0प्र0 जल निगम, गोमती एक्शन प्लान द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ महायोजना 2021 की ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये सम्मिलित प्रस्ताव में ड्रेनेज व सीवरेज व्यवस्था को ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में निस्तारित, शुद्धीकृत करने का प्रस्ताव महायोजना में है। तदानुसार इन प्रस्तावित सेवाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था व कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी।

बसंत कुंज योजना व कैम्पबेल रोड की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी रूप में लाने हेतु सम्पवैल एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित है। योजना के विरचन का कार्य प्राधिकरण व जल निगम, जल संस्थान द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कराया जा रहा है। जिसे अगले पंद्रह दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का आश्वासन महाप्रबंधक जल निगम द्वारा दिया गया है।

कानपुर रोड योर्जना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल भूमि के चयन हेतु दिनांक 06.07.06 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जल संस्थान, जल निगम एवं ल0वि0प्रा0 के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया, महायोजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये प्रस्तावित स्थल को उपयुक्त पाया गया। भू-अर्जन की तत्काल कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

महानगर योजना के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दशको से ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है, इसे जल संस्थान को हस्तांतरित करने पर चर्चा की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जोन-10 को काफी समय पूर्व कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। अधि0 अभि0-10 से अपेक्षा की गयी कि संयुक्त निरीक्षण करते हुये पम्पिंग स्टेशन को मानक के अनुसार विकसित कर तत्काल हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाय।

अलीगंज, जानकीपुरम एवं संबंधित क्षेत्र के लिये अलीगंज योजना में संयुक्त रूप से पम्पिंग स्टेशन वर्ष 1998-99 से पूर्व निर्मित किया गया तभी से इसका संचालन

ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है। जब परियोजना पूर्ण हुयी थी तो जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए थी; ऐसा न करने पर मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा खेद व्यक्त किया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियन्ता को 2 माह पूर्व पम्पिंग व्यवस्था को जल संस्थान को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अधि0 अभि0, जोन-15 तथा अधि0 अभि0, जोन-10 बैठक में उपस्थित नहीं थे, उनसे अपेक्षा की गयी कि पम्पिंग स्टेशन का संचालन मानक अनुसार करते हुये जल संस्थान को हस्तांतरित करायें।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान द्वारा नगर की पेयजल व्यवस्था में आये दिन आने वाली समस्याओं पर चिन्ता व्यक्त की गयी और अवगत कराया गया कि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत जनसंख्या को ही भूतल-पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद की योजनाओं में भूगर्भ-जल स्रोत ही एक मात्र पेयजल का स्रोत हैं, जिसके कारण भूजल स्तर तीव्रता से नीचे गिरता जा रहा है, अधिकांश ट्यूबवेलों की क्षमता कम होती जा रही है और नगर की बढती जनसंख्या को वांक्षित पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार ट्यूबवेल हैं और कहीं पर आवश्यकतानुसार नहीं हैं, यह विषमता भी जनता के आक्रोष का कारण है।

गत बैठक में इस समस्या पर चर्चा की गयी थी। स्रोत की उपलब्धता, जलकल संस्थान (वाटर वर्क्स) की व्यवस्थाओं और उससे पेयजल क्षेत्रों का निर्धारण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किये जाने की अपेक्षा की गई थी। मुख्य रूप से भूतल पेयजल श्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है। जलकल तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम के लिये भूतल जल श्रोत पर विचार-विमर्श हेतु सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, आवास विकास परिषद व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की बैठक कर विस्तृत चर्चा करते हुये प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया गया।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र बैठक की सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं वर्तमान में जल की उपलब्धता एवं जल आवश्यकता पर सम्पूर्ण विवरण तैयार कर लिया जाए, ताकि बैठक में पेयजल की आवश्यकता, भूतल जल स्रोत की उपलब्धता, जलकल के निर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

उपस्थित सदस्यों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुयी।

ह0	ह0	ह0
(आर.एन. त्रिपाठी)	**(बी.यू. विश्नोई)**	**(डी.आर. यादव)**
महाप्रबन्धक,	महाप्रबन्धक,	मुख्य अभियन्ता,
जल संस्थान	गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,	लखनऊ विकास प्राधिकरण
	उ0प्र0 जल निगम	

लखनऊ शहर में स्थापित इलेक्ट्रिक एवं डीजल बाढ़ नियन्त्रण पम्पों का विवरण

क्रमांक	पम्प का नाम	बैरल नं0	इलेक्ट्रिकल पम्पस			डीजल पम्पस			कुल क्यूसेक
			नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डालीगंज नं0 1	1	3	60.00	180.00	3	10.00	30.00	210.00
2	डालीगंज नं0 2	2	2	1.50	3.00	1	10.00	10.00	
			3	5.00	15.00	1	5.00	5.00	38.00
			1	5.00	5.00				
3	आर्टस कालेज	3	2	9.20	18.40	1	10.00	10.00	28.40
4	हनुमान सेतु	4	3	9.20	27.60	2	5.00	10.00	37.60
5	टी0जी0पी0एस0	5	5	0.60	3.00	4	0.60	2.40	5.40
6	केदार नाथ	6	2	20.00	40.00	2	5.00	10.00	
			2	5.00	10.00				70.00
			1	10.00	10.00				
7	निशात गंज	7	3	9.20	27.60	2	0.60	1.20	28.80
8	पेपर मिल एरिया	8	1	5.00	5.00	2	10.00	20.00	25.00
9	पेपर मिल कालोनी	9	1	3.20	3.20	1	5.00	5.00	28.20
			1	20.00	20.00				
10	बादशाह नगर	10	3	30.00	90.00	5	10.00	50.00	188.40
			2	9.20	18.40	2	5.00	10.00	
			2	10.00	20.00				
11	महानगर	11	2	30.00	60.00	1	5.00	5.00	65.00
12	रहीम नगर	12	1	5.00	5.00	3	10.00	30.00	35.00
13	एन.ई.आर. डीएन.	13	3	5.00	15.00	1	10.00	10.00	26.20
						2	0.60	1.20	
14	वजीर गंज	14	5	30.00	150.00	14	10.00	140.00	
			4	10.00	40.00				330.00
15	घसियारी मण्डी	15	4	30.00	120.00	10	10.00	100.00	
			1	10.00	10.00				235.00
			1	5.00	5.00				
16	चायना बाजार	16	2	20.00	40.00	1	5.00	5.00	45.00
17	लाप्लास	17	2	20.00	40.00	2	10.00	20.00	60.00
18	जापलिंग रोड	19	2	20.00	40.00	1	3.00	3.00	46.00
			1	3.00	3.00				

क्रमांक	पम्प का नाम	बैरल नं0	इलेक्ट्रिकल पम्पस			डीजल पम्पस			कुल क्यूसेक
			नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	बटलर पैलेस	20	2 1 1	20.00 5.00 2.00	40.00 5.00 2.00	1	10.00	10.00	57.00
20	आई0जी0 निवास	20	4	9.20	36.80	1	5.00	5.00	41.80
21	टी0एन0 रोड नाला	22	3	30.00	90.00	1	10.00	10.00	100.00
22	एन0ई0आर0 अप	23	1	20.00	20.00	1 2	10.00 0.60	10.00 1.20	31.20
23	टी0जी0एच0 कैनाल	24	3	30.00	90.00	1	5.00	5.00	95.00
24	डी0एम0बी0	25	2 1	30.00 5.00	60.00 5.00	1	5.00	5.00	70.00
25	जियामऊ	26	1 1	20.00 30.00	20.00 30.00	1	5.00	5.00	55.00
26	ला-मार्टीनियर	27	3	20.00	60.00	1	5.00	5.00	65.00
27	पाटा नाला	28	2	30.00	60.00	2 1	10.00 3.50	20.00 3.50	83.50
28	कुकरैल-1					3	5.00	15.00	15.00
29	कुकरैल-2		2	10.00	20.00				20.00
30	कुकरैल-3		3 1	10.00 5.00	30.00 5.00	2 2	10.00 5.00	20.00 10.00	65.00
31	कुकरैल-4					2	10.00	20.00	20.00
32	कुकरैल-5					4	5.00	20.00	20.00
33	कुकरैल-6					2 1	5.00 10.00	10.00 10.00	20.00
34	कुकरैल-7					1 2	10.00 5.00	10.00 10.00	20.00
35	हार्डिग ब्रिज अप स्ट्रीम नं0 1					2 2 2	10.00 8.00 5.00	20.00 16.00 10.00	46.00
36	हार्डिग ब्रिज अप स्ट्रीम नं0 2					4 2 2	10.00 8.00 5.00	40.00 16.00 10.00	66.00
37	गऊ घाट								
38	सरकटानाला								

क्रमांक	पम्प का नाम	बैरल नं0	इलेक्ट्रिकल पम्पस			डीजल पम्पस			कुल क्यूसेक
			नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	नं0	क्यूसेक	कुल क्यूसेक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	कुकरैल-8								
40	कुकरैल-9								
41	कुकरैल-3 के पास सीवेज पम्पिंग स्टेशन								
42	गोमती नगर					11	10.00	10.00	110.00

क्रमांक 1 से 40 तक के बाढ पम्पिंग स्टेशनों का संचालन नगर निगम लखनऊ द्वारा क्रमांक 41 का पम्पिंग स्टेशन जल संस्थान लखनऊ द्वारा तथा क्रमांक 42 का पम्पिंग स्टेशन उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

विषय संख्याः 10 पृष्ठ संख्याः 45

विषयः सुल्तानपुर रोड़ से फैजाबाद रोड़ को मिलाने वाली 150.0 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड़ का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण व रेलवे लाइन पर ऊपरगामी सेतु का निर्माण।

प्रस्ताव

मेगानगर लखनऊ में सरकारी अभिकरणों एवं निजी संस्थाओं द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियों के तेजी से किये जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यो के परिणाम स्वरूप भविष्य में सम्भावित जनसंख्या के दबाव के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना-2021 में फैजाबाद रोड़ से सुल्तानपुर रोड़ को जोड़ने हेतु 150.0 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन शहीदपथ का निर्माण गोमतीनगर क्षेत्र के शहरी भाग से हो रहा है तथा मात्र इस मार्ग के सर्विस रोड द्वारा ही गोमतीनगर विस्तार योजना में प्रवेश किया जा सकता है। त्रीवता से क्षेत्र के विकास के कारण वाहनों का भारी दबाव रहेगा तथा निकट भविष्य में इसका उपयोग लखनऊ बाई पास के रूप में किया जाना कठिन होगा। चूँकि इस क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशीप एवं हाईटेक टाउनशीप के विकास प्रारम्भ हो रहे हैं। अतएव सुलतानपुर रोड एवं फैजाबाद रोड के मध्य प्रस्तावित सुनियोजित विकास को तीब्रता से सम्पादन की स्थिति है। अत: इस मार्ग का निर्माण तथा मार्ग के संयोजन हेतु गोमती नदी पर पुल का निर्माण और मल्हौर-बाराबंकी रेलवे लाइन पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराया जाना औचित्यपूर्ण होगा। मार्ग का निर्माण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एवं गोमती नदी पर पुल का निर्माण एवं मल्हौर बाराबंकी रेलवे लाइन पर रेल ऊपरगामी सेतु का निर्माण उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0/रेलवे विभाग द्वारा किया जाना उपयुक्त होगा।

कृपया, विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

D:\Lda105\SO-R\Letters\Uargami Setu-1-right.doc

विषयः गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 से सेक्टर-7 को जोड़ने हेतु गोमती नदी पर पुल का निर्माण।

प्रस्ताव

प्राधिकरण की गोमतीनगर विस्तार योजना, गोमती नदी एवं एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन शहीद पथ के दोनों ओर स्थित हैं। एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन शहीद पथ पर निर्माणाधीन गोमती ब्रिज से केवल सर्विस रोड़ द्वारा ही योजना में प्रवेश किया जा सकता है, जो भविष्य के मुख्य यातायात दबाव के दृष्टिगत अत्यन्त सीमित है। गोमतीनगर विस्तार योजना, इंटीग्रेटेड टाऊनशीप एवं हाईटेक टाऊपशीप के तीव्रता से विकास के परिणाम स्वरूप भविष्य में यातायात का भारी दबाव रहेगा। यातायात के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 व सेक्टर-7 को जोड़ने हेतु एक अतिरिक्त पुल के निर्माण का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है। प्रस्तावित पुल के निर्माण पर रू0 574.21 लाख का व्यय सम्भावित है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा कराया जायेगा।

कृपया, विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारोपरान्त अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

विषयः गाँधी सेतु से गोमती बँधा मार्ग पर गोमतीनगर विस्तार योजना के लिये चारबाग-मल्हौर रेलवे लाईन पर रेल-ऊपरगामी सेतु का निर्माण।

प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चारबाग-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाईन एवं गोमती नदी के मध्य तथा गोमतीनगर योजना फेज-1 व 2 के अति सन्निकट गोमतीनगर विस्तार योजना जैसी महत्वाकाँक्षी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं/सेवाओं से युक्त योजना का विकास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गोमतीनगर योजना के अन्तर्गत ही गोमती नदी व सुलतानपुर रोड के मध्य इंटीग्रेटेड टाऊनशीप एवं हाईटेक टाऊनशीप के विकास कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किये जा रहे है,, परन्तु उक्त योजनाओं के लिए सम्पर्क मार्ग बहुत ही सीमित है। चूँकि गोमतीनगर, इन्दिरानगर, चिनहट, रायबरेली व सुलतानपुर रोड पर विकासशील/विकसित आवासीय योजनाओं एवं व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण एवं विकास के कारण भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने से एक विकराल समस्या पैदा हो जायेगी। अतएव उपर्युक्तानुसार भविष्य में आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास की दर के दृष्टिगत 'सहारा शहर' के समीप गोमती तट बन्ध पर उत्तर रेलवे लाईन के ऊपर ऊपरगामी सेतु का निर्माण औचित्यपूर्ण होगा। उक्त सेतु के निर्माण पर रू0 3445.39 लाख का व्यय सम्भावित है। ऊपरगामी सेतु का निर्माण उ0प्र0 राज्य सेतु निगम व रेलवे विभाग से कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

D:\Lda105\SO-R\Letters\Uargami Setu-1-right.doc

विषय :- गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन गोमती नदी सुरक्षा तटबन्ध के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत गोमती नदी सुरक्षा तटबन्ध (उत्तर रेलवे लाइन की दूसरी ओर अमर शहीद पथ तक) के निर्माण हेतु परियोजना लागत रु0 4588.00 लाख स्वीकृत है जिसके अंतर्गत 7.50 मी0 चौड़ाई के 5.95 किमी0 तटबन्ध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना था।

योजना हेतु कोई उचित सम्पर्क मार्ग न होने के कारण इस तटबन्ध को मुख्य सम्पर्क मार्ग के रूप में प्रयोग किये जाने के निर्णय के कारण गोमतीनगर फेज-1 की भांति तटबन्ध की चौड़ाई को 22.0 मी0 करने का निर्णय लिया गया। परियोजना मे तटबन्ध पर बैरल का निर्माण कराया जाना था। योजना की डी.पी.आर. में दो स्थानों पर बैरल के निर्माण की आवश्यकता प्रकट किये जाने के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 14.09.06 को पुनरीक्षित परियोजना, रु0 7822.00 लाख की प्रस्तुत की गई है।

सिंचाई विभाग द्वारा 1.95 किमी0 लम्बाई में बन्धे का निर्माण किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अब तक रु0 700.00 लाख की धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

D:\Lda105\CE (IMP)\Others\prastav-1.doc

विषय :- विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना (हरदोई रोड) के बाढ़ सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले गोमती तटबन्ध की परियोजना का अनुमोदन।

प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बसंतकुंज योजना (हरदोई रोड) के सुनियोजित विकास हेतु 1557.19 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है। 217 एकड़ भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दी गई है। शेष भूमि पर प्राधिकरण द्वारा योजना के विभिन्न सेक्टरों में निर्माण तथा विकास कार्य प्रगति पर हैं। योजना के 300 एकड़ क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, कि सुरक्षा हेतु गोमती तटबन्ध परियोजना का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा परियोजना का अभिकल्पन किया गया है। लगभग 3.0 किमी0 लम्बे गोमती तटबन्ध की परियोजना लागत रु0 25.0 करोड़ का प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये रु0 एक करोड़ का सिंचाई विभाग को अग्रिम भुगतान किया गया है। शीघ्र ही परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस परियोजना से बसंतकुंज योजना (हरदोई रोड) की सुरक्षा तो होगी ही साथ ही पूर्व में बसाये गये कैटिल कालोनी, जो कि प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में प्रभावित होती है, के आवंटियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इस परियोजना से प्रभावित कैटिल कालोनी के कुछ आवंटियों को पुनः बसाया जायेगा। आवश्यक भूमि का अर्जन हो गया है। आपसी समझौतों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना पर आने वाले व्यय को योजना की अर्थ-विवेचना में सम्मिलित किया गया है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विषय: अलमाइटी माण्टेसरी स्कूल के विरूद्ध लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.7.93 से 31.7.93 तक रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन किये जाने से सम्बन्धित पंजीकरण खोले जाने के पश्चात् अलमाइटी माण्टेसरी स्कूल के प्रबन्धक द्वारा गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 स्थित प्राइमरी स्कूल हेतु आरक्षित रिक्त भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में अपना आवेदन दिनांक 31.7.93 (पताका-क) को किया गया। विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.11.93 की संस्तुति के अनुसार उपरोक्त संस्था को गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-3 स्थित 2450 (अनुमानित) वर्गमीटर भूखण्ड के आवंटन की संस्तुति की गई तथा जिसका अनुमोदन भी शासन द्वारा प्रदान किया गया। उपरोक्त भूखण्ड के आवंटन किये जाने हेतु संस्था से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 1.7.94 द्वारा विभिन्न शर्तों का उल्लेख करते हुए दिनांक 17.7.94 तक सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू0 11,80,000.00 था। उपरोक्त धनराशि का 25 प्रतिशत अर्थात् रू0 2,95,000.00 आवंटन-पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराते हुए 30 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा तभी कब्जा दिया जायेगा एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में 17.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय होंगी। दिनांक 17.7.94 (पताका-ख) को संस्था द्वारा भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में तथा नियमानुसार धनराशि जमा करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। लीज प्लान प्राप्त होने के पश्चात् भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 3015.14 वर्गमीटर है। तद्नुसार बढ़े हुए क्षेत्रफल की 25 प्रतिशत धनराशि एवं पूर्व में विलम्ब से जमा 25 प्रतिशत धनराशि पर दण्ड ब्याज जोड़ते हुए रू0 64,667.00 जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.1.95 द्वारा संस्था से अनुरोध किया गया एवं यह भी सूचित किया गया कि विलम्ब से जमा की जाने वाली धनराशि पर 21 प्रतिशत ब्याज देय होगा। विभिन्न तिथियों में अनुबन्ध से पूर्व जमा की जाने वाली धनराशि को जमा कराते हुए संस्था के पक्ष में दिनांक 13.8.95 को अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए दिनांक 6.10.95 को भूखण्ड का कब्जा संस्था को हस्तगत किया गया। अनुबन्ध की धारा-3.3 के अनुसार 17.5 प्रतिशत ब्याज सहित वार्षिक किश्त रू0 3,36,823.00 तथा 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित (5 प्रतिशत छूट के बाद) रू0 2,99,206.00 थी। जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 13.8.96 को देय थी परन्तु संस्था द्वारा वॉछित धनराशि को कभी भी समय से जमा नहीं किया गया। संस्था द्वारा दिनांक 12.4.99 के अनुरोध पर तत्कालीन् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा देय किश्तों की धनराशि को 3 वर्षों की छ: छमाही किश्तों में ब्याज सहित कर दिया गया। जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 1.1.2000 तथा अन्तिम किश्त दिनांक 1.7.2002 थी। उपरोक्त के पश्चात् भी संस्था द्वारा कभी भी समय से धनराशि जमा नहीं की गई और बार-बार ब्याज माफ करने हेतु एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु सूचना प्राप्त करते रहे। दिनांक 30.6.03 तक किये गये मूल्यांकन के अनुसार संस्था से रू0 17,57,664.00 दिनांक 30.6.03 तक जमा करने हेतु अनुरोध किया गया तथा यह भी अवगत

कराया गया कि इसमें रू0 8,59,840.80 दण्ड ब्याज के रूप में सम्मिलित हैं। संस्था द्वारा रू0 8,97,824 दिनांक 7.6.03 को प्राधिकरण कोष में जमा किये गये परन्तु दण्ड ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिसके माफ किये जाने हेतु संस्था द्वारा अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से भी पत्र प्राप्त होते रहे हैं। दिनांक 20.10.03 को संस्था द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि संस्था द्वारा आवंटित स्कूल भूखण्ड की मूल धनराशि ब्याज सहित बैंक से ऋण प्राप्त करते हुए एवं दान-चन्दे से इकट्ठा करके जमा करा दिया गया है परन्तु आर्थिक तंगी के कारण जो विलम्ब हुआ है उस पर प्राधिकरण द्वारा दण्ड ब्याज लगा दिया गया है। पूर्व में भी इसी प्रकार के दण्ड ब्याज शासन स्तर से माफ हुए हैं जैसे- महामना मालवीय विद्यालय, गोमती नगर, महाराणा प्रताप विद्यालय, कानपुर रोड, लखनऊ सिटी माण्टेसरी स्कूल, गोमती नगर एवं स्वामी विवेकानन्द बाल विकास एवं शोध संस्थान, गोमती नगर आदि हैं। इसी क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-2569/वीसी/प्र0अ0-बल्कसेल दिनांक 10.12.03 (पताका-ग) शासन को प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्राधिकरण के स्तर से अलमाईटी माण्टेसरी स्कूल पर लगाया गया दण्ड ब्याज माफ किया जाना सम्भव नहीं है। इस पर कृपया शासन विचार करना चाहे। पूर्व में भी जो दण्ड ब्याज माफ किया गया है वह शासन स्तर पर ही माफ किये गये है। शासन स्तर पर ओ0टी0एस0 गणना कराकर संस्था को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में ओ0टी0एस0 गणना कराकर संस्था को सूचित किया गया एवं शासन को भी इससे अगवत करा दिया गया। इसी क्रम में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2006 (पताका-घ) के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखकर प्रकरण को निस्तारित किये जाने एवं शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है। गोमती नगर योजनान्तर्गत विशाल खण्ड-3 में स्थित अलमाईटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सर्वोच्च प्राथमिकता

के0 एन0 मीना,
सचिव

डी0ए0 सं0—529(1)/आठ—1—06—130एलडीए/03

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग— 1

लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2006

प्रिय महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर योजनान्तर्गत विशाल खण्ड—3 में स्थित अलमाइटी मान्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखकर प्रकरण को निस्तारित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने विषयक शासन के अर्द्ध शा0प0सं0—सी0एम0—130/आठ—1—06—130एलडीए/03 दिनांक 27—6—06 तथा अनुस्मारक अर्द्ध शा0 प0 सं0—सी0एम0— 529/आठ—1—06—130 एलडीए/03 दिनांक 25—7—06 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया शासन के उक्त पत्र द्वारा अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि वस्तुस्थिति से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(के0 एल0 मीना)

श्री बी0बी0 सिंह,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(एन0 एन0 सिंह)
अनु सचिव

AVAS-1//DO-3

संलग्नक 'J' 53

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
संख्या 2569/VC/प्र०अधि०/पेन
दिनांक 12-12-2003

सेवा में,
सचिव,
आवास,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय
गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-3 में आलमाइटी माण्टेसरी स्कूल भूखण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय मुख्य मंत्री के पत्र संख्या-659/ओएसडी(जे) सीएम/20) दिनांक 24.10.2003 की प्रतिलिपि संलग्नं एवं शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-वीआईपी-31(1)/9-आ-1-03-130एलडीए/03 दिनांक 17.10.2003 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-3 में आलमाइटी माण्टेसरी स्कूल को 3051.14 वर्ग मी0 का स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था। देय धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्ति होने के पश्चात् दिनांक 13.9.95 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 वार्षिक सामान्य किश्तों ब्याज सहित देय थी। परन्तु स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नियंमित रूप से किश्ते जमा नही की गयी जिसके कारण दण्ड ब्याज आया है दिनांक 31.12.2003 तक भुगतान की तिथि मानते हुए कुल दण्ड ब्याज की धनराशि रू0 9,35,076.00 आती है। संस्था द्वारा रू0 8,97,824.00 जमा किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिटी माण्टेसरी स्कूल को कानपुर रोड योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड एवं महाराणा प्रताप पब्लिक हाई स्कूल को कानपुर रोड योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड के सम्बन्ध में देय दण्ड ब्याज शासन द्वारा माफ किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण के स्तर से आलमाइटी माण्टेसरी स्कूल के ऊपर लगाया गया दण्ड ब्याज माफ किया जाना सम्भव नही है। इस पर कृपया शासन विचार करना चाहें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

Montessori

School Founded by
Late) Dr. Nikhat Mehtab
A., LLB., M.T., (India) M.A , Ph.D. (Czechoslovakia)

Phones : Gomti Nagar - 391464
Sitapur Road - 76141
Kakori - 05217 - 203
Manager - 235404

Head Office :
4/134, VIVEK KHAND-C
GOMTI NAGAR
LUCKNOW

संलग्नक : ख

Ref. No. डीए/1/94/एच0ओ0

Dated 17-7-94

सेवा में,

कास्ट एकाउन्टेंट,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

विषय: विधालय हेतु आवंटन लेने के सम्बन्ध में ।

आदरणीय महोदय,

आपका पत्र संख्या-1000 एफ0/प्रापर्टी/बी0एस0/94 विधालय हेतु विशाल खण्ड-3 में 2,450 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ.

आपके द्वारा आवंटित किया हुआ यह भू-खण्ड मुझे स्वीकार है और मैं नियमानुसार इसका भुगतान कर दूँगी ।

धन्यवाद,

भवदीया,

(signature)
(श्रीमती एम0 फातिमा
प्रबन्धिका,
आलमाईटी मान्टेसरी स्कूल

(signature) 17/7

2419417

NC. 93-G 36065 संलग्नक : 'क' 55

चालान फार्म

(20)

विकास प्राधिकरण की प्रति

दिनांक 31-7-93

1-यूको बैंक, लखनऊ विकास प्राधिकरण निस्तार पटल शाखा, लखनऊ के चालू खाते (कैपिटल एकाउन्ट) में जमा

धनराशि रु. 1000/-

2-बैंक ड्राफ्ट नं० QWJ 901962 Dated 23/7/93 PN Bank Payable at REC Lucknow

3-बैंक ड्राफ्ट संख्या QWJ-901962 दिनांक 23-7-93

निर्गत बैंक का नाम जहां से धनराशि आती है पंजाब नेशनल बैंक - आर. सी. सी., लखनऊ

धनराशि रु० 1000/-

4-प्रार्थी/जमाकर्त्ता का नाम

5-प्रार्थना-पत्र का क्रमांक

6-योजना का नाम

7-प्रार्थी के हस्ताक्षर

8-धनराशि प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम

6 AUG 1993

फार्म संख्या–93-C 36085

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

पंजीकरण संख्या 36085

प्रार्थना-पत्र

1—योजना का नाम — "गोमती नगर योजना" विकास खंड-2

2—विद्यालय का नाम — आल माडर्न मान्टेसरी स्कूल गोमती नगर, लखनऊ

3—यह विद्यालय कब स्थापित हुआ था — 1987

4—विद्यालय किस कक्षा तक शिक्षा दे रहा है ? — कक्षा-मान्टेसरी से आठ तक

5—क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो मान्यता प्राप्त, प्रमाण-पत्र संलग्न कर दें। यदि नहीं, तो मान्यता न प्राप्त होने का कारण स्पष्ट कर दें। — मान्यता प्राप्त है, अस्थाई स्कूल का भवन न होने के कारण स्थाई मान्यता नहीं है। स्कूल भवन की नाप व खेल का मैदान नहीं है।

6—वर्तमान में विद्यार्थियों की कुल संख्या — 375

7—विभिन्न कक्षाओं में ली जाने वाली फीस की दरें — विवरण संलग्न है।

8—शिक्षकों की संख्या, योग्यता एवं उनका मासिक वेतन। — विवरण संलग्न है।

9—गत तीन वर्षों के परीक्षाफल का विवरण (कक्षावार) — विवरण संलग्न है।

10—प्रबन्ध समिति की सदस्यों की संख्या, उनके नाम तथा पद। — विवरण संलग्न है।

11—क्या विद्यालय राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से सहायता प्राप्त कर रहा है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता का उल्लेख करें। — किसी प्रकार की कोई सहायता शासन से प्राप्त नहीं कर रहा है तथा किसी अन्य संस्थाओं से भी नहीं प्राप्त करता है।

12—क्या पुस्तकालय/वाचनालय/लेबोरेटरी आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो दिनांक 30–6–93 को उपलब्ध पुस्तकों की संख्या अंकित करें। — सूची संलग्न है।

13—क्या विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी और प्रकार का भी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स आयोजित करता है ? स्कूल के ही बच्चों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध है।

14—Extra curricular activities की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? सांस्कृतिक कार्यक्रम, वादविवाद प्रतियोगितायें जनलमेला कलात्मक प्रतियोगितायें स्काउट गाइड

15—क्या maritories student को पारितोषिक देने की सुविधा उपलब्ध है ? पुरस्कार दिया जाता है तथा छात्रवृत्ति दी जाती है।

16—दिनांक 30-6-93 को विद्यालय के पास उपलब्ध धन का विवरण।

17—प्रस्तावित विद्यालय भवन का निर्माण किस वित्तीय स्रोत से प्रस्तावित है ? बच्चों द्वारा दिया गया मासिक शुल्क

18—आवेदित भूमि की मात्रा में कितनी मात्रा पर निर्माण प्रस्तावित है ? 60% प्रतिशत पर

19—प्रस्तावित स्कूल में क्या-क्या सुविधायें (curricular extra curricular) उपलब्ध करायी जायेंगी। खेलकूद कम्प्यूटर, हॉबी क्लासेज व संगीत

20—प्रस्तावित स्कूल का निर्माण एवं संचालन की समय सारिणी time schedule) 4 वर्ष में

21—लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपेक्षित पूर्ण धनराशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ? लखनऊ विकास प्राधिकरण आदेश दिये गये समय के अन्दर

22—अन्य विवरण, यदि कोई हो यह विद्यालय सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डा. नियामत हुसैन बी.ए. एल एल.बी. एम.ए (अंग्रेजी) एम.एड. पी.एच.डी. के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें बच्चों एवं उनके व्यावहारिक क्रिया कलाप की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है। एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा भी दी जाती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- विद्यालय ने 1988 में आपके कार्यालय ल० वि० प्रा० में स्कूल भूमि हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु बार बार मालूम करने जाने पर यह ज्ञात होता रहा कि उसकी मीटिंग में रखा गया है। मैं आपको इस योजना में पुनः प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ कि अब निराश नहीं होना पड़ेगा।

H.Matna

Manager
Almighty Montessori Schools
Lucknow

विषय संख्या: 16 पृष्ठ संख्या: 58

विषय :– लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री कमलेश चन्द्र पन्त, वर्कचार्ज लिपिक की पत्नी श्रीमती दीपा पन्त के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण हेतु चिकित्सा अग्रिम रूपया–50,000.00 एवं दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा कराने हेतु किसी प्रकार की चिकित्सा अग्रिम तथा प्रतिपूर्ति नियमित कर्मचारियों की भाँति सुविधा प्राप्त नही हो रही है, जबकि यह कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है एवं परिवार तथा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय होते रहते है, जिसका वहन स्वयं करना पड़ता है। गम्भीर बीमारियों/सल्य चिकित्सा आदि पर भी कर्मचारियों द्वारा व्यय किया जाता है। नियमित कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है परन्तु दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों द्वारा अपने स्वयं एवं परिवार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है। पूर्व में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को समूह–ग के लिए रूपये–10,000.00 तथा समूह–घ के लिए रूपये–6,000.00 प्रतिवर्ष की सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसकी औपचारिक स्वीकृति बोर्ड प्रदान करने का कष्ट करे।

इसके अतिरिक्त श्री कमलेश चन्द्र पन्त जो कि वर्कचार्ज लिपिक के पद पर कार्यरत है और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी पत्नी के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण में लगभग रूपये–50,000.00 व्यय होना है, जिसका व्ययानुमान चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। एकमुश्त धनराशि भुगतान किया जाना इनके लिए सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री पन्त द्वारा अपनी पत्नी के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण में होने वाले व्यय रूपये–50,000.00 अग्रिम की स्वीकृति, जिसकी प्रतिपूर्ति पन्त द्वारा चिकित्सा व्यय के साथ कर ली जायेगी। बोर्ड स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

अतः प्रस्ताव बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

15/12-06
अनु० अधि० (अधिष्ठान)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

16/12/06
(के० के० सिंह)
प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान)
विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(डा० राम बिलास य...)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या : 17

59

विषयः-इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि० को आवंटित भूमि के संबंध में।

प्रस्ताव-

इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि० द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्त जजों के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के अनुरोध पर दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 को प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के विषय संख्या-32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ''अधिकतम् 10 एकड भूमि 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट सहित आवासीय प्रयोजन हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि० को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जाये कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नही रखा जायेगा यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त संस्था का संविधान एवं सदस्यों की सूची भी मॉग ली जाय।'' उपरोक्त लिये गये निर्णय के कम में संस्था को दिनांक 3.3.2006 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-3 में व्योम खण्ड के सन्निकट 10 एकड भूमि 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 31.5.2006 तक समस्त धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। संस्था द्वारा वर्तमान समय तक कोई धनराशि जमा नही की गयी है।

संस्था के पदाधिकारियों द्वारा उपाध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर भूमि की गणना में बल्केज डिस्काउन्ट को और अधिक किये जाने हेतु अनुरोध किया गया एवं पुनः गणना कराने हेतु अनुरोध किया गया। उनके द्वारा दिनांक 20.11.2006 को एक प्रार्थना-पत्र देकर सूचित किया गया कि समिति इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज को-आपरेटिव हाऊसिंग एण्ड डेवलपमेण्ट सोसायटी लिमिटेड के नाम से सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है अतः उपरोक्त नाम से ही आवंटन-पत्र निर्गत किया जाये। पूर्व में इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.3.2006 के बिन्दु संख्या-2 में अनुरोध किया गया है कि कुछ भूखण्ड 300 वर्गमीटर से बड़े किये जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में संस्था को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के कम में इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि० के नाम से भूखण्ड इस शर्त के साथ आवंटित किया गया था कि एक भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नहीं रखा जायेगा। चूँकि समिति के नाम में परिवर्तन किया गया है अतः पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि० के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज को-आपरेटिव हाऊसिंग एण्ड डेवलपमेण्ट सोसायटी लि० के पक्ष में किया जाना होगा एवं संस्था द्वारा कुछ भूखण्ड 300 वर्गमीटर से बड़े किये जाने सम्बन्धी अनुरोध के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण में दर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु समिति का गठन किया गया। समिति की आख्या साथ में संलग्न है। पूर्व स्वीकृत 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउण्ट को बढ़ाये जाने पर भी निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(डा० राम निवास यादव)

उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-320/मेमो/पीए/06, दिनांक 7.8.06 द्वारा बल्क सेल द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी द्वारा दिनांक 8.8.2006 को हुयी बैठक का कार्यवृत्त:-

1- वित्त नियन्त्रक
2- मुख्य नगर नियोजक
3- इक्जीक्यूटिव सिस्टम्स
4- अधिशासी अभियंता-अर्जन
5- श्री मुकेश अग्रवाल, डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट
6- श्री अनिमेश कुमार, सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट

समिति ने गोमती नगर विस्तार योजना हेतु पूर्व स्वीकृत प्रोजेक्ट व्यय का परिशीलन किया गया। विकास के मद में वर्ष 2000 को आधार मानते हुये रू0 897.00, विकास व्यय दर्शाया गया है जो कि आन्तरिक विकास व्यय को सम्मिलित करते हुये है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास व्यय दर्शाये गये जो मूलतः वाह्य विकास के दृष्टिगत है तथा कुल व्यय रू0 1564.00 प्राविधानित किया गया है। आन्तरिक विकास व्यय का अंश सामान्यतः 45 प्रतिशत होता है जिसके अनुसार रू0 897.00 के विपरीत रू0 403.65 आन्तरिक विकास व्यय आगणित होता है। जिस पर ओवर हेड तथा कन्टीजेन्सी प्राविधानित किये जाने के वाद रू0 1564.00 के विपरीत रू0 534.42 आन्तरित व्यय का अंश आता है।

दरों का निर्धारण 50 प्रतिशत सेलेबल एरिया मानते हुये रू0 4000.00 प्रति वर्गमीटर किया गया है। जबकि बल्क सेल मे सेलेबल एरिया 70प्रतिशत के आस पास (15 प्रतिशत ओपेन स्पेस तथा 15 प्रतिशत रोड आदि को छोडकर) प्राप्त होता है। इसके सापेक्ष यदि गणना आन्तरिक विकास व्यय को घटाकर की जाये तो दर रू0 2090.00 प्रति वर्गमीटर आता है। यदि वर्तमान दर पर प्राधिकरण द्वारा 35 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट दिया जाता है तो प्राधिकरण को 2600/-प्रति वर्गमीटर तथा यदि 40 प्रतिशत डिस्काउन्ट दिया जाता है तो रू0 2400.00 प्रति वर्गमीटर की दर प्राप्त होगी। अतः 35-40 प्रतिशत तक डिस्काउण्ट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(अनिमेष कुँवर) वरि0सहा0का0एका0	(मुकेश अग्रवाल) डिप्टी का0एका0	(वी0एन0 सिहं) अधिशासी अभियन्ता-अर्जन
(एस0बी0 भटनागर) एग्जीक्यूटिव सिस्ट्म्स	(सी0पी0 शर्मा) मुख्य नगर नियोजक	(डा0 मोहन यादव) वित्त नियन्त्रक

(डा0 राम विलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COSTING
Gomti Nagar Extension Project Expenditure

I) Land Cost Rs. 247.50/- per smt.
(a) Land Acquition cost Rs. 23/- per sft. i.e Rs. 92.81
(b) Add. 15%, Interest for 2 ½ year i.e. Rs. 340.31
@ 15% per Annum Rs. 34.00
(c) Acquition Expend. 10% Rs. 17.00
(d) Over Head Charges 5% Rs. 391.31
Rs. 40.78
(e) Compensation for Existing structure Rs. 432.09 (A)

(II) Development
(a) Cost of Development 600/- per smt as on Year2000 Rs. 690.00
Add for price excallation LS 15%
(b) Add for price Excalation for project period 6% per Anum for five years Rs. 207.00
Rs. 897.00
Rs. 111.22
(c) Share cost for third water works Rs. 78.20
(d) Bundh & Barrel
Rs 43.93
(e) Share cost for STP. Rs. 1130.35 (B)

(III) Other Expenditure
(a) Extra cost due to adjustment for houses (Only Dev.Cost will by charged) Rs. 16.21
(b) Extra Expenditure due to Land left for Village Expansion Rs. 7.45
(c) Lohia Park Rs. 8.75
(d) ROB (Railway over Bridge 50% share of Thirty Crore) Rs. 19.50
Rs. 51.91 (C) 51.91
Rs. 1182.26 (D)
Total (B+C) Rs. 177.34
Add 15% over Head Charges on D Rs. 1359.60 (E)
Rs. 203.94
Contingency 15 % of E Rs. 1563.54 (F)
Rs. 1995.63
Total (A)+(F) Rs. 2x1995.63
Now sale prize taking saleble area @ 50% of gross area
Rs. 3991.26
Say Rs.3990 per smt.

J/E. 15/10/04 A.E. AE(I/3) E.E.-1 15-10-04 E.E.-3

CE. 15-10-04 C.F.A./F.C. C.T.P. SECRETARY

APPROVED

VICE-CHAIRMAN

Gomtinagar Extension Project Expenditure

Acquisition Cost

Land Acquisition Cost	247.50
Interest @15% for 2.5 years	92.81
	340.31
Adminstrative Expenses@10%	34.03
Overhead Charges @5%	17.02
	391.36
Percentage	
Compensation for Existing Structures	40.78
Total Acquisition Cost	432.14
Percent Of Total Project Cost	21.64%
Total Cost Of The Project	**1,997.00**
	1,997.22

Development Cost

	External	Internal	Total
Cost as on Year 2000	330.00	270.00	600.00
Escalation @15%	49.50	40.50	90.00
	379.50	310.50	690.00
Escalation for 5 Years @6%	113.85	93.15	207.00
	493.35	403.65	897.00
Percentage of Development cost	55.00%	45.00%	
Third Water Works	111.22		
Bundh & Barrel	78.20		
STP Share	43.93		
ROB	19.50		
Lohia Park	8.75		
Others	23.66		
	779.16	404.10	1,183.26
Ovehead Charges@15%	116.87	60.62	177.49
	896.03	464.72	1,360.75
Contingency Charges@15%	134.41	69.71	204.11
	1,030.44	534.42	1,564.86
	51.60%	26.76%	

Sale Price Plotted Area	3,994.43	
Sale Price Bulk Sale with Internal Development	2,852.86	28.58%
Sale Price Bulk Sale without Internal Development	2,089.40	47.69%

Saleble Area Plotted Development	50%
Saleble Bulk Area	70%

Discount Prices on Rs.4000.00

25%	3,000.00
30%	2,800.00
35%	2,600.00
40%	2,400.00

विषय संख्या : 18 63

विषय:-उत्तर प्रदेश आई0ए0एस0 एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को आवंटित भूमि पर बल्केज डिस्काउन्ट दिये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव-

उत्तर प्रदेश आई0ए0एस0 एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन संबंधी अनुरोध पर दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 को प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के विषय संख्या-21 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ''उत्तर प्रदेश आई0ए0एस0 एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट सहित इस शर्त के साथ भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नही रखा जायेगा और अधिकतम 15 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।'' उपरोक्त लिये गये निर्णय के कम में संस्था को दिनांक 9.3.2006 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-3 में 14.75 एकड भूमि 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 21.5.2006 तक समस्त धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। संस्था के अनुरोध पर दिनांक 31.8.2006 तक सब्याज समयवृद्धि प्रदान की गयी। संस्था द्वारा वर्ततान समय तक कोई धनराशि जमा नही की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित, अवैतनिक सचिव, उत्तर प्रदेश आई0ए0एस0 एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 के पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2006 के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि समिति के समस्त सदस्यों द्वारा अधिक दरों के औचित्य के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के कारण समिति के पत्र संख्या-28/भू0आ0/2006, दिनांक 18 अप्रेल, 2006 में उल्लेख किया गया था कि समिति के पक्ष में सदस्यों के लिये आवंटित भूमि का मूल्य काफी अधिक है। अतएव आवसीय भूमि के मूल्य की पुनः गणना कराये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि प्राधिकरण द्वारा समिति को आवंटित भूमि का मूल्य काफी अधिक है। अतः पुनः गणना शीघ्र कराने हेतु तत्काल निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही बिन्दु संख्या-3 एवं 4 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि समिति के सदस्यों द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना की समक्ष प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व, योजना के विकास कार्य एवं निर्माण न किये जाने की स्थिति में सदस्यों को भूमि का भौतिक कब्जा एवं लाभ प्राप्त नहीं होगा और न ही भूमि का हस्तान्तरण एवं पंजीयन किया जाना विधिक रूप से सम्भव होगा। अतः ऐसी स्थिति में सदस्यों द्वारा समिति के माध्यम से प्राधिकरण को धनराशि जमा करने में यह कठिनाई दर्शायी गयी कि अगर भूमि का हस्तान्तरण, कब्जा एवं पंजीयन में विलम्ब होता है तो सदस्यों पर ब्याज का अनावश्यक अत्याधिक भार होगा जिसके कारण सदस्यों को वित्तीय हानि होगी। अतएव पुनः अनुरोध है कि उक्त भूमि के मूल्य की पुनः गणना कराते हुए भूमि के मूल्य की धनराशि को जमा करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने का कष्ट करें एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में भी अद्यावधिक स्थिति से समिति को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे समिति द्वारा प्राधिकरण को धनराशि जमा करते हुए आवंटन, पंजीयन एवं निर्माण इत्यादि की समस्त औपचारिकताएँ समय से पूर्ण की जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण में दर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु समिति का गठन किया गया। समिति की आख्या साथ में संलग्न है। पूर्व स्वीकृत 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउण्ट को बढ़ाये जाने एवं उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

64

उत्तर प्रदेश आई.ए.एस. एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि.
4, गुलिस्ताँ कालोनी, लखनऊ।

संजय भूसरेड्डी
अवैतनिक सचिव

पत्र संख्याः 38 / स.आ.स. / 2006

लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, लखनऊ
0552/ VC
16-10-06

दूरभाषः (का) 2237287 / 4691
(फैक्स) 2235503
(आ) 2237713

कार्यालय,
332, बापू भवन, लखनऊ।

दिनाँकः 12 सितम्बर, 2006

4197
17/10/06

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश आई.ए.एस. एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि., 04 गुलिस्ताँ कालोनी, लखनऊ को गोमतीनगर विस्तार में भूमि आवंटन के संबंध में कृपया अपने पत्र संख्याः 283 / बल्क सेल / 05, दिनाँक 13.06.2006 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें आपने अवगत कराया है कि गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर–3 में 14.75 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु समिति को आवंटित की गई है जिसकी भूमि के प्रीमियम जमा करने हेतु दिनाँक 31.08.2006 तक का समय इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त अवधि का ब्याज नियमानुसार देय होगा और शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

2. समिति के समस्त सदस्यों द्वारा अधिक दरों के औचित्य के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के कारण समिति के पत्र संख्याः 28 / भू.आ. / 2006, दिनाँक 18 अप्रैल, 2006 में उल्लेख किया गया था कि समिति के पक्ष में सदस्यों के लिये आवंटित भूमि का मूल्य काफी अधिक है, अतएव आवासीय भूमि के मूल्य का पुनः गणना (कॉस्टिंग) कराये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि प्राधिकरण द्वारा समिति को आवंटित भूमि का मूल्य काफी अधिक है, अतः इसकी पुनः गणना (कॉस्टिंग) शीघ्र कराने हेतु तत्काल निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

3. साथ ही समिति के सदस्यों द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना की समक्ष प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व, योजना के विकास कार्य एवं निर्माण न किये जाने की स्थिति में सदस्यों को भूमि का भौतिक कब्जा एवं लाभ प्राप्त नहीं होगा और न ही भूमि का हस्तान्तरण एवं पंजीयन किया जाना विधिक रूप से सम्भव होगा। अतः ऐसी स्थिति में सदस्यों द्वारा समिति के माध्यम से प्राधिकरण को धनराशि जमा करने में यह कठिनाई दर्शायी गयी कि अगर भूमि का हस्तान्तरण, कब्जा एवं पंजीयन में विलम्ब होता है तो सदस्यों पर ब्याज का अनावश्यक अत्यधिक भार होगा जिसके कारण सदस्यों को वित्तीय हानि होगी।

श्री भटनागर
प्र.अ. (बल्क सेल)

16/10
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

1221 प्र.अ. / बल्क सेल
18-10-06

26.10.2006

65

4. अतएव पुनः अनुरोध है कि उक्त भूमि के मूल्य की पुनः गणना (कॉस्टिंग) कराते हुए भूमि के मूल्य की धनराशि को जमा करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने का कष्ट करें एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में भी अद्यावधिक स्थिति से समिति को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे समिति द्वारा प्राधिकरण को धनराशि जमा करते हुए आवंटन, पंजीयन एवं निर्माण, इत्यादि की समस्त औपचारिकताएँ समय से पूर्ण की जा सके।

सादर।

भवदीय,

(संजय भूसरेड्डी)

श्री बी. बी. सिंह,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,,
लखनऊ।

उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-320/मेमो/पीए/06, दिनांक 7.8.06 द्वारा बल्क सेल द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी द्वारा दिनांक 8.8.2006 को हुयी बैठक का कार्यवृत्तः-

1- वित्त नियन्त्रक
2- मुख्य नगर नियोजक
3- इक्जीक्यूटिव सिस्टम्स
4- अधिशासी अभियंता-अर्जन
5- श्री मुकेश अग्रवाल, डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट
6- श्री अनिमेश कुमार, सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट

समिति ने गोमती नगर विस्तार योजना हेतु पूर्व स्वीकृत प्रोजेक्ट व्यय का परिशीलन किया गया। विकास के मद में वर्ष 2000 को आधार मानते हुये रू0 897.00, विकास व्यय दर्शाया गया है जो कि आन्तरिक विकास व्यय को सम्मिलित करते हुये है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास व्यय दर्शाये गये जो मूलतः वाह्य विकास के दृष्टिगत है तथा कुल व्यय रू0 1564.00 प्राविधानित किया गया है। आन्तरिक विकास व्यय का अंश सामान्यतः 45 प्रतिशत होता है जिसके अनुसार रू0 897.00 के विपरीत रू0 403.65 आन्तरिक विकास व्यय आगणित होता है। जिस पर ओवर हेड तथा कन्टीजेन्सी प्राविधानित किये जाने के वाद रू0 1564.00 के विपरीत रू0 534.42 आन्तरित व्यय का अंश आता है।

दरों का निर्धारण 50 प्रतिशत सेलेबल एरिया मानते हुये रू0 4000.00 प्रति वर्गमीटर किया गया है। जबकि बल्क सेल मे सेलेबल एरिया 70प्रतिशत के आस पास (15 प्रतिशत ओपेन स्पेस तथा 15 प्रतिशत रोड आदि को छोडकर) प्राप्त होता है। इसके सापेक्ष यदि गणना आन्तरिक विकास व्यय को घटाकर की जाये तो दर रू0 2090.00 प्रति वर्गमीटर आता है। यदि वर्तमान दर पर प्राधिकरण द्वारा 35 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट दिया जाता है तो प्राधिकरण को 2600/-प्रति वर्गमीटर तथा यदि 40 प्रतिशत डिस्काउन्ट दिया जाता है तो रू0 2400.00 प्रति वर्गमीटर की दर प्राप्त होगी। अतः 35-40 प्रतिशत तक डिस्काउण्ट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(अनिमेष कुँवर)
वरि0सहा0का0एका0

(मुकेश अग्रवाल)
डिप्टी का0एका0

(वी0एन0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता-अर्जन

(एस0बी0 भटनागर)
एग्जीक्यूटिव सिस्ट्म्स

(सी0पी0 शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

(डा0 मोहन यादव)
वित्त नियन्त्रक

(डा0 राम विलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Gomtinagar Extension Project Expenditure

Acquisition Cost

Land Acquisition Cost	247.50
Interest @15% for 2.5 years	92.81
	340.31
Adminstrative Expenses@10%	34.03
Overhead Charges @5%	17.02
	391.36
Percentage	
Compensation for Existing Structures	40.78
Total Acquisition Cost	432.14
Percent Of Total Project Cost	21.64%
Total Cost Of The Project	**1,997.00**
	1,997.22

Development Cost

	External	Internal	Total
Cost as on Year 2000	330.00	270.00	600.00
Escalation @15%	49.50	40.50	90.00
	379.50	310.50	690.00
Escalation for 5 Years @6%	113.85	93.15	207.00
	493.35	403.65	897.00
Percentage of Development cost	55.00%	45.00%	
Third Water Works	111.22		
Bundh & Barrel	78.20		
STP Share	43.93		
ROB	19.50		
Lohia Park	8.75		
Others	23.66		
	779.16	404.10	1,183.26
Ovehead Charges@15%	116.87	60.62	177.49
	896.03	464.72	1,360.75
Contingency Charges@15%	134.41	69.71	204.11
	1,030.44	534.42	1,564.86
	51.60%	26.76%	

Sale Price Plotted Area	3,994.43	
Sale Price Bulk Sale with Internal Development	2,852.66	28.58%
Sale Price Bulk Sale without Internal Development	2,089.40	47.69%

Saleble Area Plotted Development	50%
Saleble Bulk Area	70%

Discount Prices on Rs.4000.00

25%	3,000.00
30%	2,800.00
35%	2,600.00
40%	2,400.00

COSTING
Gomti Nagar Extension Project Expenditure

) Land Cost — Rs. 247.50/- per smt.

(a) Land Acquition cost Rs. 23/- per sft. i.e — Rs. 92.81

(b) Add. 15%, Interest for 2 ½ year i.e. — Rs. 340.31

@ 15% per Annum — Rs. 34.00

(c) Acquition Expend. 10% — Rs. 17.00

(d) Over Head Charges 5% — Rs. 391.31

Rs. 40.78

(e) Compensation for Existing structure — Rs. 432.09 (A)

(II) Development — Rs. 690.00

(a) Cost of Development 600/- per smt as on Year2000

Add for price excallation LS 15% — Rs. 207.00

(b) Add for price Excalation for project period 6% per Anum for five years — Rs. 897.00

Rs. 111.22

(c) Share cost for third water works — Rs. 78.20

(d) Bundh & Barrel

Rs 43.93

(e) Share cost for STP. — Rs. 1130.35 (B)

(III) Other Expenditure — Rs. 16.21

(a) Extra cost due to adjustment for houses (Only Dev.Cost will by charged) — Rs. 7.45

(b) Extra Expenditure due to Land left for Village Expansion — Rs. 8.75

(c) Lohia Park — Rs. 19.50

(d) ROB — Rs. 51.91 (C) 51.91

(Railway over Bridge 50% share of Thirty Crore) — Rs. 1182.26 (D)

Total (B+C) — Rs. 177.34

Add 15% over Head Charges on D — Rs. 1359.60 (E)

Rs. 203.94

Contingency 15 % of E — Rs. 1563.54 (F)

Rs. 1995.63

Total (A)+(F) — Rs. 2x1995.63

Now sale prize taking saleble area @ 50% of gross area — Rs. 3991.26

Say Rs.3990 per smt.

J/E. 15/10/04 A.E. AE (I/C) E.E.-1 15-10-04 E.E.-3

C.T.P. SECRETARY

CE. 15-10-04 C.F.A./F.C.

APPROVED

VICE-CHAIRMAN

विषय संख्या– 19

विषयः अखिल भारतीय कार्यशील महिला संघ को बसन्त कुंज योजना (हरदोई रोड) में 4000 हजार वर्ग मीटर भूमि आंवटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावः

अखिल भारतीय कार्यशील महिला संघ द्वारा अपने पत्र दिनांकः 17.06.2006 के माध्यम से विधि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु 4000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन का अनुरोध किया है तथा यह अवगत कराया गया है कि भारतीय कार्यशील महिला संघ सोसाइटी अधिनियम–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसकी पंजीकृत संख्या– 2222/85–86 दिनांकः 4.9.1985 है तथा कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। संघ की प्रमुख गतिविधियाँ समाज के सभी वर्गों, विशेषतः महिलाओं की सामाजिक,शैक्षिक, आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार लाना। संघ द्वारा विगत 20 वर्षों से महिलोत्थान को लक्षित जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से अनेक समाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न किये है। संघ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यद्यपि भारतीय संविधान के चतुर्थ अध्याय में वर्णित महिलोत्थान सम्बन्धी निर्देशक तथ्यों की पूर्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथासाध्य की जा रही है, तथापि महिला,शिक्षा के क्षेत्र में गैर–सरकारी संस्थाओं की भागीदारी समय की मांग है। इन्ही बिन्दुओं के दृष्टिगत संघ द्वारा लखनऊ में भी एक विधि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, प्रस्तावित महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा तथा इस सम्बन्ध में वांछित औपचारिकतायें शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

अखिल भारतीय कार्यशील महिला संघ के अनुरोध पर बसन्त कुंज योजना (हरदोई रोड) में 4000 वर्ग मीटर संस्थागत भूमि रू0 4500.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन का प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या– 457/बल्कसेल दिनांकः 26.7.06 द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके कम में संघ ने अपने पत्र दिनांक 11.8.06 द्वारा यह अवगत कराया है किः–

1. सघ एक समाजिक संस्था है, जो समाज के दुर्बल वर्ग, विशेषतः महिलाओं के शैक्षिक एवं आर्थिक स्वावलम्बन को लक्षित कार्यकमों में संलग्न है।
2. संघ का अर्थिक स्त्रोत सदस्यों का वार्षिक चन्दा अदि है इसके कार्यक्रमों की सम्पन्नता दान–अनुदान आदि पर ही निर्भर है।
3. संघ किसी व्यापारिक अथवा व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं ।
4. संघ की प्रमुख गतिविधियों में महिलाओं में उद्यमशीलता, स्वतन्त्रता, स्वायत्ता जैसे गुणों का विकास करना है और इनकी पूर्ति हेतु अन्य सभी उपकमों को मूर्त रूप प्रदान करना है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान भागीदारी हो सके और उनके व्यक्तित्व सम्यक सृजनशीलता दृष्टिगोचर हो ।
5. यह कि प्रस्तावित विधि महाविद्यालय की स्थापना इसी श्रृखंला की एक कड़ी है।
6. उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में आप द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड की दर रू0 4500.00 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार है, जो संघ की वहनीय अर्थिक क्षमता से परे है।

संघ द्वारा उपरोक्त आधार पर न्यूनतम/आनुदानिक दरों पर भूमि आवंटित कये जाने का अनुरोध किया है। शासनादेश सं0–1206/9–आ–1/96 दिनांक 18 मार्च 1996 के बिन्दु संख्या–4 में डिग्रीकालेज/पोस्टग्रेजुएट/मैनेजमैन्ट इस्टीटयूट/ट्रेनिंग इस्टीटयूट में सेक्टर दर के 50 प्रतिशत पर भूमि आवंटन हेतु प्राविधान है।

अतः कृपया रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राधिकरण विचार करना चाहे।

[signatures]

विषय संख्या : 20

विषयः डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को अतिरिक्त 2000 वर्गमीटर भूखण्ड आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव

आख्याः प्रोफेसर ए0के0 श्रीवास्तव, संस्थापक अध्यक्ष, डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.12.2005 (पताका-क) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से इनके द्वारा गोमती नगर योजना के विराज खण्ड के संस्थागत क्षेत्र में डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) हृदय रोग अस्पताल स्थापित करने हेतु पूर्व में आवंटित 8208 वर्गमीटर भूखण्ड के पीछे रिक्त भूखण्ड को पहले की दर से डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन के पक्ष में आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जो भूखण्ड इन्हें पूर्व में आवंटित किया गया था, पर एक हृदय रोग अस्पताल डिवाईन हार्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर के नाम से बनकर तैयार हो गया है। चूँकि यह अस्पताल एक विश्व स्तरीय है इसको अभी और जमीन की आवश्यकता है। जिससे इसके कार्य-कलापों को और बढ़ाया जा सके। प्रदेश का यह एकमात्र अस्पताल है जहाँ एक छत के नीचे हृदय रोग का सभी इलाज सम्भव होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रश्नगत संस्था के अनुरोध पर 2 एकड़ भूमि के आवंटन एवं दर से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22.1.2004 के विषय संख्या-15 (पताका-ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। " विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानकों की पूर्ति करते हों ''(पताका-ग)। अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में संस्था को रू0 2100/- प्रति वर्गमीटर की दर से प्रस्ताव प्रेषित करते हुए संस्था के पक्ष में भूखण्ड का निबन्धन करते हुए भूखण्ड का कब्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में जिस पर संस्था द्वारा हास्पिटल का निर्माण भी कराया जा चुका है।

संस्था द्वारा जिस अतिरिक्त भूमि की मॉग की जा रही है, उसके भू-उपयोग के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक से आख्या प्राप्त की गई। मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रश्नगत भूमि के-भू-उपयोग की जानकारी निम्नवत् प्रदान की गईः-

1. महायोजना-2021 में विराज खण्ड, गोमती नगर में डिवाईन हार्ट के पीछे की रिक्त भूमि का भू-उपयोग 'सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिता एवं सेवाएँ' प्रस्तावित है।
2. लखनऊ महायोजना-2021 के जोनिंग प्राविधान के अनुसार 'अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक प्रयोगशाला' को' सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिता एवं सेवाएँ' की क्रियाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
3. गोमती नगर योजना के विराज खण्ड के ले-आउट प्लान में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग 'संस्थागत' की श्रेणी में प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत संस्था के पक्ष में भूमि आवंटन एवं आवंटित की जाने वाली भूमि की दर के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(डा0 राम विलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

71

DIVINE HEART FOUNDATION (INDIA)

(AN INSTITUTION DEDICATED TO HEART CARE, EDUCATION & RESEARCH)

~~B-746, Sector-C, Mahanagar,~~ Lucknow-226 006. (U.P.)

New Address 2/24 Vineet Khand Gomti Nagar

Phones : 91 (522) ~~440963, 73415~~ 2725548 / 272...

REGN. NO. : 117309

दिनांकः 29.12.2005

सेवा में,

उपाध्यक्ष,-
लखनऊ विकास प्राधिकरण
विपिन खण्ड गोमती नगर
लखनऊ ।

विषयः—डिवाईन हार्ट फाउन्डेशन (इन्डिया) को अतिरिक्त 2000 वर्गमीटर भूखण्ड के आवंटन हेतु निवेदन ।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा गोमती नगर के अन्तर्गत विराज खण्ड संस्थागत क्षेत्र में डिवाईन हार्ट फाउन्डेशन (इन्डिया) को हृदय रोगियों की देखभाल तथा चिकित्सा के लिये एक हृदय रोग अस्पताल स्थापित करने हेतु 8208.00 वर्गमीटर भूखण्ड का आवंटन रु0 2100.00 वर्गमीटर के दर से दिनांक 4/8/2004 को किया गया थां। उक्त भूखण्ड के निबंधन के बाद तथा मानचित्र जारी होने के बाद एक हृदय रोग अस्पताल डिवाईन हार्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर के नाम से बनकर तैयार हो गया है।

इसकी जानकारी देते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि उक्त हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा दिनांक 3 मार्च 2006 को होना सुनिश्चित हुआ है।

चूंकि यह अस्पताल एक विश्व स्तरीय है इसको अभी और जमीन की आश्यकता है। जिससे इसके कार्यकलापों को और बढ़ाया जा सके। इसी भूखण्ड के पीछे इसी का शेष भाग अभी पड़ा हुआ है। अगर उक्त रिक्त भूमि अभी आवंटित न हुयी हो तो आप से आग्रह है कि शेष भूमि को पहले के दर से डिवाईन हार्ट फाउन्डेश को आवंटित करने की कृपा करें।

बढ़ते हुये हृदय रोग, आज हमारे समाज की एक जटिल समस्या बन गया है। प्रदेश का यह एक मात्र अस्पताल है जहाँ एक छत के नीचे हृदय रोग का सभी इलाज सम्भव होगा। आपके सूचनार्थ विकास प्राधिकरण का भूमि आवंटन पत्र संलग्न है।

श्री नियम
कृ. ... पर
आवश्यक कै.
28.12.05

भवदीय

ए के श्रीवास्तव

प्रोफेसर ए0के0 श्रीवास्तव
संस्थापक अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2004 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	श्री डी०सी०लाखा	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मनोज सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्रीमती आराधना शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5.	श्री राम वृक्ष प्रसाद	विशेष सचिव,उ०प्र०शासन, आवास एवं शहरी नियोजन, लखनऊ।
6.	श्रीमती प्रभावती	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
7.	श्री वी.के.गुप्ता	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, विशेष आमन्त्री।

अन्य उपस्थित :

9.	कु० रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री एन.के.सिंह	वि०कार्याधिकारी, ल०वि०प्रा०।
11.	श्री एस०डी०दोहरे	अपर सचिव, ल०वि०प्रा०

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
निर्णय :	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। गोमती तट विकास परियोजना के सम्बन्ध में विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के कम में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० व्दारा अवगत कराया गया कि पुरातत्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो गई है। उपाध्यक्ष व्दारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों हेतु अध्यक्ष महोदय व्दारा उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस हेतु वे बधाई के पात्र हैं।
विषय संख्या : 3	सी०एस०आई० ट्रान्जिट हास्टल, विपिन खण्ड गोमती नगर के निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदार व्दारा की जा रही क्षतिपूर्ति की मांग के भुगतान के सम्बन्ध में।
निर्णय :	परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
विषय संख्या : 4	विपिन खण्ड स्थित प्राधिकरण भवन के ब्लाक बी-2 के प्रस्तावित एक तल के स्थान पर ब्लाब बी-4 पर एक अतिरिक्त तल के निर्माण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
विषय संख्या : 5	गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या : 3/12 से 3/14 के सम्मुख व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरुप भूखण्ड की दर आवासीय लिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 12 कपूरथला,अलीगंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के प्लान नं०: 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग का मंतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 13 प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14 ऋतानन्द बालवेद एजूकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि ~~यदि~~ स्वास्थ विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानको की पूर्ति करते हों।~~तो अनुमोदन प्रदान किया जाता है~~

विषय संख्या : 16 अवध अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कब्जा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तों में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार कराके इस सम्पत्ति को विक्रय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत आवन्टन के पश्चात जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।

75

अन्य बिन्दु :

विगत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के विषय संख्या : 13 ' बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय से सम्बन्धित प्रस्ताव' एवं विषय संख्या : 14 ' डा० भीमराव अम्बेडकर मैदान का विकास ' के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त व्यय का विवरण औचित्य सहित आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ।

विषय संख्या : **15**

डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवंटन विषयक।

आख्या: वर्ष, 1998 में डिवाईन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.4.98 के माध्यम से 2 एकड़ भूमि
आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया था। संस्था के उपरोक्त पत्र के साथ दिनांक 30.3.98 को माननीय मंत्री जी को
सम्बोधित पत्र भी प्राप्त हुआ था जिस पर तत्कालीन् माननीय मंत्री जी द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि आवंटित किए जाने के
निर्देश दिए गए थे।

यह संस्था सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था का लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. हृदय तथा सम्बन्धित अंगों के रोगों की समग्र चिकित्सा को प्रोत्साहन देना, इसमें सहायता करना, विकास करना तथा योगदान प्रदान करना, रोगथाम, रोग के प्रति जागृति, सामुदायिक शिक्षा, शीघ्र निदान तथा चिकित्सा जिससे हर प्रकार की शल्य चिकित्सा तथा चिकित्सा के उपरान्त आवश्यक पुर्नवास भी सम्मिलित है।
2. हृदय तथा सम्बन्धित अंगों के रोगियों के हित एवं पक्ष को किसी प्राधिकरण, शासन अथवा अन्य संस्थान के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. हृदय तथा सम्बन्धित अंगों के रोगों के सभी पक्षों का अध्ययन तथा शोध कार्य करना, शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इन कार्यों को प्रोत्साहन देना या उनमें सहायता करना।
4. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हृदय रोगियों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए एक उपकेन्द्र स्थापित करना।

संस्था ने अपने प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, संस्थान की नियमावली, आयकर छूट सम्बन्धी प्रमाण-पत्र,
संस्थान के उद्घाटन तथा अन्य गतिविधियों के समाचार-पत्रों की कटिंग संलग्न की थी। संस्थान ने अपने उपरोक्त पत्र में यह
भी उल्लेख किया था कि महामहिम श्री राज्यपाल ने दिनांक 1.12.96 को इस संस्थान के उत्थान के लिए रूपये 5.00 लाख की
धनराशि का अनुदान दिया था। उक्त पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी संलग्न की थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी जाने वाली
सुविधाओं का भी उल्लेख किया था। भूमि की आवश्यकता 9000 वर्गमी0 अंकित की थी जिसका उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पृष्ठ
16 पर दिया गया था। प्रोजेक्ट कास्ट रू0 1150.00लाख अंकित की थी तथा वित्तीय श्रोत मुख्यतया ऋण/क्रेडिट पर निर्भर है।

उपरोक्त कम में तत्कालीन् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थागत दर रूपये 1800/-प्रति वर्गमीटर पर इन्हें विराज खण्ड में
भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था किन्तु संस्था द्वारा कोई धनराशि उस समय जमा नहीं की गई
थी।

पुन: दिनांक 1 सितम्बर, 2003 को माननीय अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित पत्र द्वारा संस्था ने भूमि
उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसपर वर्तमान में 100 बेड का अस्पताल निर्माण कराए जाने की परिकल्पना का
उल्लेख है तथा भूमि पूर्व में अन्य अस्पतालों की भाँति रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया गया है। इस
सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में वर्ष, 1999 में तत्कालीन् उपाध्यक्ष द्वारा अस्पतालों के लिए विपुल खण्ड की कास्टिंग को
आधार मानते हुए न्यूनतम कास्ट की गणना कराई गई थी जो दिनांक 30.9.99 तक रूपये 1600/-प्रति वर्गमीटर थी। यदि उसी
आधार पर अद्यावधिक गणना की जाए तो वर्तमान दर रूपये 2100/-प्रति वर्गमीटर होती है। इसी गणना के आधार पर पूर्व में
विराज खण्ड संस्थागत क्षेत्र में सहारा-अपोलो तथा नेशनल होम्योपैथिक कालेज (5 एकड़ अतिरिक्त भूमि) को 10 प्रतिशत बल्क
डिस्काउण्ट देते हुए भूमि का आवंटन किया गया है। महायोजना के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग सामाजिक एवं
सांस्कृतिक संस्थाएँ एवं सेवाओं के अन्तर्गत आता है और प्राधिकरण की अर्थ-विवेचना को तैयार करते हुए पूर्व में उपरोक्त भूमि
का मूल्य 50 प्रतिशत पर ही प्राविधानित किया जाता रहा है किन्तु सामान्यत: प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को भूमि का आवंटन
आवासीय दर की डेढ़ गुनी पर पर किया जाता रहा है। वर्तमान में विराज खण्ड में आवासीय दर रूपये 2800/-प्रति वर्गमीटर
है। नर्सिंग होम हेतु भी प्राधिकरण द्वारा भूमि आवासीय दर की डेढ़ गुनी दर पर उपलब्ध कराई जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दृष्टिगत भूमि आवंटन एवं दर के सम्बन्ध में
प्राधिकरण कृपया निर्णय लेना चाहे।

अ0शा0प0सं0 205/PSHS/96

अखण्ड प्रताप सिंह
आई. ए. एस.

प्रमुख सचिव
आवास विभाग
उ0 प्र0 शासन
लखनऊ - 226 001

दिनांक 12-3-96

संलग्नक: 1
पृष्ठ: 113

प्रिय गंगादीन जी

के0सन्स अपोलो हास्पिटल लि0 का प्रत्यावेदन संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि वर्तमान आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर उक्त संस्था को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुमोदन शासन स्तर पर हुआ है। उक्त भूमि विभूति खण्ड में आवंटि की जायेगी । स्थल के विषय में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ही शासन स्तर की बैठक में सुझाव दिया था, उसे मान लिया गया है। कृपया नक्शे में बैठक में इंगि स्थान पर उक्त संस्था को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें । इ यह भी सूचित कर दें कि पूर्व आवंटन का भी आधार आवासीय दर का 50 प्रतिशत थ केवल पिछले पांच वर्ष में आवासीय दर बढ़ जाने के कारण धनराशि में परिवर्तन हुआ है अन्य शर्तें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये पूर्व आवंटन के अनुसार ही रखे ज में आपत्ति नहीं है।

भवदीय

(अखण्ड प्रताप सिंह)

श्री गंगादीन यादव,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

उपाध्यक्ष
15/96
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या– 21 पृष्ठ संख्या– 78

विषयः हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना हेतु बसन्त कुंज योजना (हरदोई रोड) में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावः

अपर पुलिस महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 03.12.2005 तथा 25, जनवरी,2006 द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यमिकों के परिवारों की सुख सुविधा एवं कल्याण के लिए हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण हेतु लखनऊ में लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराया गया है कि इस बल के कार्मिकों द्वारा अपने कल्याण हेतु हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है क्योंकि बल के कार्मिक सुद्रगामी पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के है एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहते हुए देश द्रोही एवं आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहे है। इस बजह से इन्हें लखनऊ जैसे स्थान पर अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण एवं चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त साधन नहीं मिल पाते है।

वर्तमान में बसन्त कुंज योजना (हरदोई रोड) के अन्तर्गत 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश आई0ए0एस0 एसोसिएशन सहकारी आवास समिति लि0 तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज़ सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा भूमि आवंटन का अनुरोध किये जाने पर प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांकः 6/13 जनवरी,2006 को प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउण्ट प्रदान करते हुए कतिपय शर्तो के साथ भूमि आवंटन की सहमति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी थी किन्तु दोनों समितियों द्वारा आवंटन की दरों के सम्बनध में आपत्ति प्रस्तुत की है जिसे पुनः विचारार्थ बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः केन्दीय रिर्जव पुलिस बल की सोसाइटी हेतु बसन्त कुजं योजना(हरदोई रोड) में 100 एकड़ भूमि के आवंटन एवं बल्केज डिस्काउण्ट के सम्बन्ध में प्राधिकरण कृपया विचार करना चाहे।

विषय संख्याः 22 पृष्ठ संख्याः 79

विषयः उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450 / नौ–7–2006–67ज / 95 दिनांकः 30.11.2006 में उल्लिखित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450 / नौ–7–2006–67ज / 95 दिनांकः 30.11.2006 में निम्नलिखित क्षेत्रों को संविधान के भाग 9–क के प्रयोजनों के लिये लखनऊ महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है :–

1. जिला लखनऊ में समाविष्ट लखनऊ नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र,
2. छावनी क्षेत्र, सरोजनी नगर विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
3. काकोरी विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
4. मलिहाबाद विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
5. बक्शी का तालाब विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
6. निदुरा विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
7. देवॉ विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
8. बंकी विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
9. नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बाराबंकी,
10. गोसाईगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
11. मोहनलालगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र को अधिसूचना संख्याः Niwas Anubhag-2 Notification No. 3923/XXXVII-2-(D.A.)-72 दिनांकः11.09.1974 द्वारा नगर पालिका सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी तक घोषित किया गया था। लखनऊ विकास क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व के बढ़ जाने तथा मैट्रोपॉलिटन सिटी घोषित हो जाने के कारण उपरोक्त वर्णित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

16/XII/2006

मुख्य नगर नियोजक

858Planning

80

[illegible]

नगर विकास अनुभाग-7

संख्या-6450/नौ-7-2006-67ज/95

लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2006

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 2 के खण्ड (45-क) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या- 2336-I-क/9-7-1994 दिनांक 6 सितम्बर, 1994 के क्रम में राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे उल्लिखित क्षेत्र, संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों के लिये लखनऊ महानगर क्षेत्र होगा :-

1- जिला लखनऊ में समाविष्ट लखनऊ नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र,
2- छावनी क्षेत्र, सरोजनीनगर विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
3- काकोरी विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
4- मलिहाबाद विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
5- बक्शी का तालाब विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
6- निदुरा विकास खण्ड. जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
7- देवा विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
8- बंकी विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
9- नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बाराबंकी,
10- गोसाईगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
11- मोहनलालगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।

आज्ञा से,

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ.संख्या- 6450 (1)/नौ-7-06-67ज/95, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अधिसूचना को इस अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में दिनांक 30 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित कर उसकी 100 मुद्रित प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एम0एम0 खान)
विशेष सचिव।

पृ.संख्या- 6450 (2)/नौ-7-06-67ज/95, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, लखनऊ/ फैजाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/बाराबंकी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
6. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन के समस्त अनुभाग।
8. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 खान)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
Nagar Vikas Anubhag-7

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6450 /IX-7-06-67Ja/95, dated 30 November, 2006.

NOTIFICATION

No. 6450 /IX-7-06-67 Ja/ 1995,
Lucknow : Dated : 30 November, 2006

In exercise of the powers under clause (c) of Article 243-P of the Constitution read with clause (45-A) of section 2 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (U.P. no. 2 of 1959) and in continuation of notification no. 2336-I-A/9-7-1994, dated September 06, 1994 the Governor is pleased to declare that, with effect from the date of publication of this notification in Gazette the area mentioned below shall be the Lucknow Metropolitan area for the purposes of part IX-A of the Constitution:-

1. Total area of Municipal Corporation of Lucknow comprised in district Lucknow,
2. Cantonment area, total area of Sarojani Nagar Block,
3. Total area of Kakori Block,
4. Total area of Malihabad Block,
5. Total area of Baxi Ka Talab Block,
6. Total area of Nidura Block District Barabanki,
7. Total area of Deva Block District Barabanki,
8. Total area of Banki Block District Barabanki,
9. Nagar Palika Parishad, Nawabganj, District Barabanki,
10. Total area of Gosainganj Block,
11. Total area of Mohanlalganj Block.

By order,

(AMAL KUMAR VERMA)
Pramukh Sachiv

1	2	3	4	5
regulations but the applicant has not followed Section 7(4) of U. P. R.B.O. Act.	applying.			

Note I. Constructions different from approved plans shall be treated as not applied.

II. If unauthorised construction falls in more than one type of unauthorised construction, the compounding fee shall be charged separately for every offence.

III. Projection on public and Government land shall not be compounded in any circumstances.

(10)

English translation of G. O. No. 68/III-2(6)-1979-Revenue-1, dated September 5, 1986 published in U. P. Gazette, Extra., dated September 5, 1986, Part IV, Section (Kha) p. 2.

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act No. 1 of 1951) and in partial modification of G. O. No. 68/III-2 (6)-1979-Rajaswa-1, dated July 1, 1983 and other subsequent orders issued in this behalf, the Governor is pleased to direct that all such properties as specified in clauses (1) to (6) of sub-section (1) of Section 117 which were vested in various local authorities and the Gaon Sabhas under the aforesaid Government order and other subsequent orders concerned and which had been, as a result of new constitution, reconstitution or change in boundaries, included in local authorities or Gaon Sabhas different from their erstwhile local authorities or Gaon Sabhas shall, with effect from the date of issue of this order stand transferred to, and vest in, the later local authorities or Gaon Sabhas as the case may be, in which they be found included at the date of issue of this Order.

2. The above orders will have no effect on the properties vested in the Kanpur Development Authority under G.O. No. U.O. 572/Rajaswa-1/1978, dated 6th September, 1978.

13. LUCKNOW

(1)

English translation of Niwas Anubhag-2 Noti. No. 3923/XXXVII-2—(D.A.)-72 dated September 11, 1974, published in U. P. Gazette, Extra., dated 11th September, 1974

Whereas, in the opinion of the State Government the following areas in the State of Uttar Pradesh require to be developed according to plan;

Now therefore, in exercise of the powers under Section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973), the Governor is pleased to declare, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following areas to be development areas.

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika Lucknow and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahaplika limits but excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

(2)

THE LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY (POWERS AND DUTIES OF THE SECRETARY AND CHIEF ACCOUNTS OFFICER) REGULATIONS, 1983

[UNDER/SECTION 56(2)(*b*)]

No. 2272/XXXVII-2—215-D.A.-82
Dated Lucknow, March 31, 1984

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Lucknow Development Authority (Powers and Duties of the Secretary and Chief Accounts Officer) Regulations, 1983.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Paras 2 and 3 same as of Agra Development Authority.

(3)

THE LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY (THE TIME AND MANNER OF PAYMENT OF BETTERMENT CHARGE) BYE-LAWS, 1984

[UNDER/SECTION 57 (*c*)]

No. 5852/XXXVII-2—224-D.A.-80
Dated Lucknow, February 16, 1984

1. Short title and commencement.—(1) Thees Bye-laws may called the Lucknow Development Authority (The Time and Manner of Payment of Betterment Charge) Bye-laws, 1984;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette; and

(3) They shall apply to the areas falling under the Lucknow Development Authority.

2 to 7 and Forms A and B same as of Agra Development Authority.

(4)

LUCKNOW URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT BYE-LAWS RELATING TO THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF FACADE OF BUILDING ABUTTING ARTERIAL ROADS, 1975[1]

The following bye-laws have been framed by the Lucknow Development Authority with the previous approval of the State Government in exercise

1. *Vide* Noti. No. 1/N.A.(V), dated October 31, 1975, published in U.P. Gazette, Extra., dated 31st October, 1975, pp. 3-4.

120

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री राकेश कुमार मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री बी0बी0सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3.	श्री उदय प्रताप सिंह	विशेष सचिव, उ.प्र.शासन, आवास एवं शहरी नियोजन।
4.	श्री सन्तोष कुमार	अपर नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
5.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
6.	श्री पी.के.जैन	मुख्य अभियन्ता, जल निगम,
7.	श्री एस.बी.दफतरदार	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि।
08.	श्री रुद्र प्रताप सिंह	संयुक्त आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
09.	श्री एल.एस.पी.सिंह	पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि महानिदेशक, पर्यटन ।
10.	श्री तुलसीराम चौरसिया	सदस्य, ल.वि.प्रा.
11.	श्री नानकदीन भुर्जी	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थितिः

12.	श्री राम बिलास यादव	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
13.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
14.	डा. मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
15.	श्री दवन राम यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 — नजूल भूमि संख्या : 8 डी, क्षेत्रफल 23876.325 वर्गफिट मोहल्ला रमना, दिलकुशा (विक्रमादित्य मार्ग), लखनऊ का भू–उपयोग आवासीय से कार्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

१८०५६१

विषय संख्या : 4 — उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग के असुरक्षित घोषित जीर्ण–शीर्ण भवन संख्या : 8–तिलक मार्ग, लखनऊ को भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के मध्य यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग का कार्यालय भवन 8–तिलक मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा रहा था। सचिव, खादी तथा ग्रामोद्योग व्दारा अवगत कराया गया था कि वे इस स्थान पर केवल उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग का कार्यालय व अपना शो–रुम ही बनायेगें। अतः प्राधिकरण बोर्ड व्दारा आवासीय से कार्यालय में भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय इस आशय से लिया गया कि महायोजना – 2021 में दिये गये जोनिंग प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यालय की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपनी निर्मित वस्तुओं के लिये शोरुम स्वयं संचालित कर सकता है। यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत कार्यवाही पहले पूर्ण कर ली जाये।

विषय संख्या : 5 — डा.राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु भू–उपयोग हरित से संस्थागत में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट जय प्रकाश नारायन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिये हरित पट्टिका का भू–उपयोग संस्थागत में परिवर्तन किये जाने पर विचार विमर्श हुआ। मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–2435(एम.बी.)/2001 में पारित निर्णय एवं तदक्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से निर्गत शासनादेशों का संज्ञान भी लिया गया। इस पर भी विचार किया गया कि जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित संस्थान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानो का समागम, गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित संस्थान के निर्माण के महत्व को मद्दे नज़र रखते हुए उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग हरित पट्टिका से संस्थागत में परिवर्तित किया जाना अपरिहार्य पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–13 में भू–उपयोग परिवर्तन का प्राविधान निहित है जो अभी तक निरस्त नहीं हुआ है एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या : 3125, दिनांक 20 अगस्त, 2003 जिसमें अपरिहार्य परिस्थितियों में हरित पट्टिका के भू–उपयोग परिवर्तन के विषय में उच्च स्तर पर निर्णय लेकर ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रविधान है, को संज्ञान में लेते हुए शासन को प्रस्ताव संदर्भित करने का निर्णय इस आशय से लिया गया कि उच्च स्तर पर विधिक परामर्श कर, उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम –1973 की धारा–13 के अनुसार 38,090.292 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग संस्थागत में परिवर्तित करने हेतु शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित किया जाये एवं उसके समतुल्य भूमि हरित पट्टिका के रुप में प्राधिकरण की योजना में अन्यत्र प्रस्तावित की जाये।

विषय संख़्या : 6 — लखनऊ महायोजना 2021 की जोन–3 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय संख्या : 7 — कानपुर रोड योजना के सेक्टर–जी में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पडी भूमि पर निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि का भू–उपयोग आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र तथा शेष आधे भाग पर कन्वीनियेन्ट शाप्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8 — एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों में सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

विषय संख्या : 9 — ट्रान्सगोमती क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल परिवर्तन से योजना की लागत में हो रही वृध्दि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण व्दारा सहभागिता धनराषि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10 — सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड को मिलाने वाली 150 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण व रेलवे लाइन पर उपरगामी सेतु का निर्माण।

निर्णय : — प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 11 — गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 से सेक्टर–7 को जोड़ने हेतु गोमती नदी पर पुल का निर्माण।

निर्णय : — प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 12 — गांधी सेतु से गोमती बॅधा मार्ग पर गोमती नगर विस्तार योजना के लिये चारबाग–मल्हौर रेलवे लाइन पर रेल–ऊपरगामी सेतु का निर्माण।

निर्णय : — प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 13 — गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन नदी सुरक्षा तटबन्ध के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

विषय संख्या : 14 विकास प्राधिकरण की बसन्तकुँज (हरदोई रोड) के बाढ़ सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग व्दारा निर्मित किये जाने वाले गोमती तटबंध की परियोजना का अनुमोदन।

निर्णय : अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव, अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 15 अलमाइटी माण्टेसरी स्कूल के विरुध्द लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 16 श्री कमलेश चन्द्र पन्त, वर्कचार्ज लिपिक की पत्नी श्रीमती दीपा पन्त के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण हेतु चिकित्सा अग्रिम रु0 50,000/– एवं दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 17 इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. को आवन्टित भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय : इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. के पक्ष में किये गये आवन्टन को निरस्त कर समिति के परिवर्तित वर्तमान नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज कोआपरेटिव हाऊसिंग एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी लि0 के पक्ष में आवन्टन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। संस्था के अनुरोध पर विचार करते हुए 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट के स्थान पर 35 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट दिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।साथ ही कुछ भूखण्ड 300 वर्गमीटर से बड़े रखे जाने की भी अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड न विकसित किये जायें।

विषय संख्या : 18 — उत्तर प्रदेश आई.ए.एस. एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को आवन्टित भूमि पर बल्केज डिस्काउन्ट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, संस्था को पूर्व में दिये गये 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट के स्थान पर बल्केज डिस्काउन्ट 35 प्रतिशत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 19 — अखिल भारतीय कार्यशील महिला संघ को बसन्तकुँज योजना (हरदोई रोड) में 4000 वर्ग मीटर भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत संस्था से उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं विगत तीन वर्षो की बैलेन्स–शीट मंगा कर प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या : 20 — डेवाइन हार्ट फाउन्डेशन (इण्डिया) को अतिरिक्त 2000 वर्ग मीटर भूखण्ड आवन्टन का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डेवाइन हार्ट फाउन्डेशन (इण्डिया) को 2000 वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवन्टन वर्तमान आवासीय दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 21 — हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना हेतु बसन्त कुँज योजना (हरदोई रोड) में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 22 — उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दिनांक 30.11.2006 में उल्लिखित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग--7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ--7--2006--67ज/95 दिनांक 30.11.06 में उल्लिखित क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण घोषित करने हेतु शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित कर दिया जाये।

अन्य विषय : अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में संस्था व्दारा बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रेजेन्टेशन।

भारत एवं भारत वर्ष के बाहर वनौषधि क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण शोधों एवं कृत्यों का विवरण संस्था व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : प्रस्तुतिकरण के बाद विचारोपरान्त संस्था से भूमि की आवश्यकता का पुनर्आकलन करते हुए वित्त पोषण के सम्बन्ध में विवरण पुनः प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

21.12.08

(आर.के.मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।